भारिया

विकास का वर्तमान परिदृश्य

पृथ्वी

मध्य प्रदेश के ज़िला छिन्वाड़ा के पातालकोट क्षेत्र में रहने वाली
आदिम जनजाति भारिया की जीवन परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट

भारिया

विकास का वर्तमान परिदृश्य

मध्य प्रदेश के ज़िला छिन्वाड़ा के पातालकोट क्षेत्र में रहने वाली आदिम जनजाति भारिया की जीवन परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट

भारिया
विकास का वर्तमान परिदृश्य

अगस्त 2017

रिपोर्टः रजनीश श्रीवास्तव
अध्ययन सहयोगः सत्यकाम जन कल्याण समिति, छिन्दवाड़ा

प्रकाशकः पैरवी
ई-46, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, लाजपत नगर-3
नई दिल्ली-110024
फोनः +91-11-29841266, फ़ैक्सः +91-11-29841266
ई-मेलः pairvidelhi1@gmail.com
वैबसाइटः www.pairvi.org | ब्लॉगः pairvi.blogspot.in

© जानकारी के प्रसार हेतु इस पुस्तक वर्णित सामग्री का पुनर्प्रकाशन व वितरण करने हेतु आप स्वतंत्र हैं। स्रोत का उल्लेख करेंगे और सूचना देंगे तो हमें प्रसन्नता होगी।

अनुक्रम

1.	भूमिका	..5
2.	पातालकोटः संक्षिप्त जानकारी	..7
3.	भारियाः भाषा, संस्कृति परंपरा	..11
4.	पहाड़ वाला शॉर्टकट	..16
5.	ज्ञान की दुश्वार राह	..22
6.	स्वास्थ्यः सुविधाओं का इंतज़ार	..30
7.	जल, जंगल, ज़मीन	..40
8.	रोज़गार के विकल्प और पलायन	..50
9.	सामाजिक सुरक्षाः योजनाएँ, जानकारी और पहुँच	..56
10.	संलग्नक	..60

भूमिका

मध्य प्रदेश आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह गोंड, भील, बैगा, कोरकू, कोल, सहरिया आदि जनजातियों व विशेष पिछड़े जनजाति समुदायों का निवास स्थान है। जनजातीय संदर्भ में मध्य प्रदेश इसलिए भी ध्यान दिया जाने वाला राज्य है कि यहाँ विभिन्न जनजातीय समुदायों के विकास के लिए अलग-अलग विभागों का गठन किया गया है, जैसे कोल जनजाति विकास अभिकरण, सहरिया जनजातीय विकास अभिकरण, बैगा विकास प्राधिकरण आदि। इन विभागों का प्रमुख उद्देश्य संबंधित जनजाति के विकास के लिए कार्य करना है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति 'भारिया' के विकास के लिए 26 जून 1978 को प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के तामिया ब्लॉक में भारिया विकास अभिकरण की स्थापना की गई, जिसे कि अब 40 वर्ष होने जा रहे हैं। तामिया ब्लॉक के अंतर्गत पातालकोट में भारिया जनजाति के 12 गाँव हैं, जो 20 से भी अधिक ढानों में बसे हुए हैं। जनजाति विशेष के लिए गठित किए गए अभिकरण की चार दशक की मौजूदगी में उस समुदाय की जीवन परिस्थितियों का, विकास का वर्तमान परिदृश्य क्या है इसे जानना न केवल शासकीय व्यवस्था में क्रियान्वयन की ख़ामियों-ख़ूबियों को समझना है बल्कि अपने समय को जानना है।

मई 2015 से वर्ष 2017 की शुरुआत तक विभिन्न चरणों में पैरवी, नई दिल्ली ने छिन्दवाड़ा की संस्था सत्यकाम जन कल्याण समिति के साथ मिलकर पातालकोट में भारिया समुदाय के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास किया है। इस प्रक्रिया में भारिया जनजाति के 130 परिवारों का नमूना सर्वेक्षण किया गया जिसमें व्यवसाय, शिक्षा, कृषि,

वन के साथ संबंध, स्वास्थ्य, शासकीय योजनाएँ आदि बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की गई। इसके अलावा गाँवों का भ्रमण कर ग्रामीणों से बातचीत की गई व विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भी चर्चा की। सर्वेक्षण, चर्चा, अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आधार पर भारिया समुदाय की वर्तमान जीवन परिस्थियों पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

रिपोर्ट में जो तथ्य निकलकर आए हैं उनके आधार पर भारिया समुदाय की स्थिति विभिन्न पहलुओं पर चिंताजनक है। ख़ासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार के संबंध में। जैसे कि पातालकोट के विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों का अभाव है और जो हैं वे भी नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते। अधिकांश विद्यालय अतिथि शिक्षकों के सहारे संचालित हैं। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र हैं, दवाएँ हैं लेकिन चिकित्सक नहीं हैं। नतीजतन रोगियों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता, जिसके कारण मृत्यु तक की गंभीर स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं। रोज़गार के लिए अस्थायी पलायन इस हद तक है कि मार्च-अप्रैल में पातालकोट के गाँव तकरीबन सूने हो जाते हैं। घरों में सिर्फ़ बुज़ुर्ग और बच्चे रह जाते हैं। इन समस्याओं के अलावा जलवायु परिवर्तन और जल-जंगल-ज़मीन से जुड़ी दुश्वारियाँ भी भारिया समुदाय के जीवन का हिस्सा बन गई हैं।

जनजातीय समुदायों के लिए विभिन्न शासकीय योजनाएँ भी संचालित हैं, जिनकी सफलता के आँकड़े विभिन्न सरकारी रिपोर्टों में हमें दिखाई देते रहते हैं। प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त बिंदुओं के साथ ही भारिया समुदाय की शासकीय योजनाओं तक पहुँच के पहलू पर भी विस्तार से चर्चा करती है।

पातालकोट
संक्षिप्त जानकारी

यूँ तो पहाड़ों के बीच से नीचे, गहरे तक उतरते जाने और तलहटी में जीवन गुज़ारने का नाम है पातालकोट, पर इधर-उधर छपा हुआ कुछ जो इस जगह के बारे पढ़ा तो कुछ लोगों ने इसे मध्य प्रदेश का स्वर्ग भी लिखा है- पर्यटन की नजर से। जिन्हें प्रकृति के साथ वक्त बिताना पसंद है और जो शहरों की आपाधापी से ऊबकर तफ़रीह के लिए यहाँ आते हैं उनके लिए यह जगह बेशक जन्नत से कम नहीं, लेकिन यहाँ के बाशिंदों का रोजमर्रा का जीवन जाने बिना इस जन्नत की हकीकत नहीं जानी जा सकती।

पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है, जो पर्यटन व वन विभाग द्वारा बनाए गए दो व्यू प्वाइंट्स से काफ़ी ख़ूबसूरत नज़र आता है। जहाँ तक नज़र जाए हरियाली और ज़र्द होते पत्तों की रंगत से भरी घाटी, आसमान की नीली रंगत, धूप की लुका-छिपी और सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे दूर कहीं जाती एक स्त्री, मानो कोई ख़ूबसूरत पेंटिंग जीवंत हो उठी हो। लेकिन जैसे-जैसे इस घाटी में बसे गाँवों की हकीकत से रू-ब-रू होइये, यह मोह छंटता जाता है।

पातालकोट की भौगोलिक स्थिति इसके नाम के अनुरूप ही है। दरअसल इसका नामकरण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, पाताल - यानी अनन्त गहराई वाला स्थान और कोट - यानी दुर्ग, प्राचीर। यहाँ कोट से तात्पर्य ऊँची चट्टानी दीवारों से है। पातालकोट सचमुच ही किसी अभेद्य दुर्ग जैसा दिखाई देता है, जिसके चारों ओर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ है।

पातालकोट क्षेत्र का नक्षा

छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से 69 कि.मी. और तामिया विकास खंड से 23 कि.मी. की दूरी पर चारों ओर से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से घिरी 79 वर्ग किमी में फैली है यह पातालकोट घाटी। इस घाटी में समुद्र सतह से 2750 फुट से 3250 फुट तक की ऊँचाई और भूतल से 1000 से 1700 फुट तक की गहराई में 12 गाँव और उनके ढाने बसे हुए हैं। इन गाँवों में मूलतः भारिया जनजाति के लोग रहते हैं। लगभग 3000 की कुल आबादी वाली इस जनजाति का अधिकांश हिस्सा इन्हीं गाँवों में है। बहुत थोड़े भारिया पातालकोट क्षेत्र से बाहर नज़दीकी जिलों सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी में भी रहते हैं।

ग्राम पंचायतें, गाँव और ढाना

पातालकोट क्षेत्र में 3 ग्राम पंचायत हैं, जिनके अंतर्गत 12 गाँव आते हैं। इन 12 गाँवों में बसाहट एक ही जगह पर नहीं है बल्कि गाँव भी ढानों में बंटे हुए हैं। एक ही गाँव के दो ढानों के बीच की दूरी भी 1 से 4 कि.मी. तक है। अगर अलग-अलग बसाहट के इन ढानों की गिनती की जाए तो

आधिकारिक रूप से ढानों की जो संख्या है उससे अधिक ही निकलेगी। भारिया विकास अभिकरण से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पातालकोल में ग्राम पंचायतों, गाँवों और ढानों की संख्या इस प्रकार है –

तालिका – 1

तामिया ब्लॉक के पातालकोट क्षेत्र में भारिया जनसंख्या वाले गाँवों की जानकारी

क्र	ग्राम पंचायत	ग्राम	ढाना
1	कारेआम	कारेआम रातेड	कारेआम रातेड़ पटेलढाना
		चिमटीपुर	
		पलानी गैलडुब्बा	गैलडुब्बा पलानी ढाना कोलूढाना
		घोघरी गुज्जाडोंगरी	
2	घटलिंगा	घटलिंगा	कोटवार ढाना उमराई ढाना
		गुढीछतरी	सोपटिया ढाना
		घाना सालढाना कौड़िया	घाना सालढाना कौड़िया
3	हर्राकछार	धुरनी मालनी डोमनी	मालनी
		जड़मादल हर्राकछार	जड़ मादल हर्राकछार

		खमारपुर सेहरा पचगोल	खमारपुर सेहरा पचगोल पचगोल ढाना गोटीखेड़ा
		झिरन	
		सूखाभाण्ड हारमउ	सूखाभाण्ड हारमउ
कुल	ग्राम पंचायत - 03	ग्राम - 12	ढाना - 23

हालाँकि इस आधिकारिक जानकारी के इतर भी कुछ और ढाने हैं, जिनका उल्लेख नहीं है। वर्ष 2009-10 के सर्वेक्षण के मुताबिक पातालकोट के इन 12 गाँवों और 23 ढानों में भारिया जनजाति के 503 परिवार रहते हैं और इनकी कुल जनसंख्या 2561 है। इस जनसंख्या में पुरुषों व महिलाओं की संख्या क्रमशः 1290 व 1271 हैं।

हमने अपने इस अध्ययन में इन्हीं में से 130 परिवारों से विस्तृत जानकारी ली है, साथ ही क्षेत्र भ्रमण, समुदाय के साथ सामुहिक चर्चाओं व संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी बातचीत की है जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

भारियाः भाषा, संस्कृति, परंपरा

सर्दी के मौसम में घर के बाहर धूप सेंकता भारिया बुजुर्ग

भारिया जनजाति द्रविड़ समूह से है। भारिया या भूमिया नाम से जानी जाने वाली इस जनजाति के लोग अधिकतम 4.5 से 5 फुट की ऊँचाई और छरहरे शरीर के होते हैं। इनकी आँखें छोटी, नाक कदरन चपटी लेकिन सुडौल, करीने की दंत पंक्तियाँ और रंग श्यामवर्णी होता है। उम्र और सालों के हिसाब में कमजोर भारिया इस बारे में कुछ ठीक-ठीक नहीं बता पाते लेकिन दस्तावेजों में दर्ज जानकारी के मुताबिक पातालकोट में भारिया जनजाति का निवास 500 साल से है।

भाषा

बाहरी लोगों से हिन्दी में बात करने वाली इस जनजाति की पारस्परिक संवाद की भाषा पारसी है। हालाँकि पारस्परिक संवाद की इस भाषा को जानने वालों की संख्या अब बहुत कम ही बची है। ग्रामीण बताते हैं कि नयी पीढ़ी आपसी बोलचाल में अब हिंदी का ही अधिक प्रयोग करती है। इस सर्वेक्षण के दौरान हमें ऐसे भी कई लोग मिले जो पारसी जानते-समझते हैं, लेकिन ठीक से बोल नहीं पाते। गौरतलब है कि पारसी भाषा की कोई लिपि नहीं है।

संस्कृति

पारंपरिक रूप से ये अपने आराध्य बड़ा देव, भीमसेन और बाघ, मढ़ुआदेव, ग्रामदेवी, खेड़ापति, मेठोदेवी, भैंसासुर, हरदुललाला आदि की आराधना करते हैं। लेकिन जैसा कि कई अन्य आदिवासी क्षेत्रों में भी दिखाई देता है, यहाँ भी कुछ हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा की जाती है। धार्मिक अनुष्ठानों में हिंदू देवताओं की पूजा के साथ ही हिन्दू धर्म से जुड़े त्यौहार भी अब इनके जीवन में शामिल हो चुके हैं। वृक्षों से अपनी उत्पत्ति मानने वाली इस जनजाति में कई गोत्र हैं जिनका नामकरण किसी न किसी वृक्ष पर है। हालाँकि यह एक दिलचस्प बात है कि वर्तमान पीढ़ी को सिर्फ यह पता है कि उनका गोत्र किस पेड़ से जुड़ा है, क्यों जुड़ा है यह नहीं मालूम। हमें अपनी यात्राओं के दौरान ऐसा कोई बुजुर्ग भी नहीं मिला जो हमें पेड़ों से उत्पत्ति और गोत्र के पेड़ों से संबंध की कहानी बता पाता। दीवाली, होली, नवरात्रि, भुजलिया जैसे हिन्दू त्यौहारों को मनाने के साथ ही इस जनजाति के लोग हरिजेवती, पोला जैसे अपने पारंपरिक त्यौहार भी खासे उल्लास से मनाते हैं।

इस जनजाति का सांस्कृतिक पक्ष विशेष आकर्षण है। सामाजिक या धार्मिक, उत्सव कोई भी हो ये उसे भड़म, सैतम व करमा-सैला लोकनृत्यों के साथ मनाते हैं, जिसमें वे ढोल, टिमकी, झांझ व बाँसुरी आदि वाद्यों का प्रयोग करते हैं। बड़ा देव व भीमसेन की आराधना के दिन क्षेत्र में छोटे-छोटे मेले भी लगते हैं जहाँ ये अपने पूरे पारंपरिक-सांस्कृतिक रंग और वेशभूषा में नज़र आते हैं।

कारेयाम ग्राम पंचायत में भारिया समुदाय के कुछ युवाओं का एक समूह भी है, जिसे विभिन्न अवसरों पर मध्य प्रदेश सरकार के आयोजनों में लोकनृत्य की सांस्कृतिक प्रस्तुति का अवसर भी प्राप्त हुआ है, साथ ही अन्य कई स्थानों पर उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इस समूह की मौजूदगी से एक नज़र में समझा जा सकता है कि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अपने अध्ययन के दौरान हमें एक अलग तस्वीर भी नज़र आई। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए

रखने में भारिया समुदाय की युवा पीढ़ी में बहुत अधिक उत्साह नज़र नहीं आता। हमने उत्सुकतावश तकरीबन आधा दर्जन गाँवों में यह जानने का प्रयास किया कि कितने लोगों को अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाना आता है, तो हमें जवाब बहुत उत्साहजनक नहीं मिला। इस समुदाय के लोग अपने वाद्य यंत्र जैसे ढोल, टिमकी पारंपरिक रूप से खुद ही बनाते रहे हैं, परंतु वर्तमान स्थिति यह है कि दो-तीन गाँवों के बीच एक ढोल है, जिसे ठीक करने वाले भी इन गाँवों में एक या दो बुजुर्ग व्यक्ति ही हैं। लकड़ी की पतली रीप (पट्टियों) और मिट्टी से बनने वाले पारंपरिक ढोल को नई पीढ़ी न तो बनाना जानती है और न ही सुधारना।

किसी समुदाय की अलग पहचान के जो प्रमुख और प्रथम आधार होते हैं, वह हैं- भाषा, सामाजिक व धार्मिक मान्यताएँ व सांस्कृतिक विरासत। इन तीनों ही बिंदुओं पर भारिया समुदाय की पहचान पर संकट नज़र आता है। समुदाय के बुजुर्गों की मानें तो स्कूल जाने वाले बच्चों को किताबों की बातें सीखने से ही फ़ुर्सत कहाँ है कि वे कुछ और सीखें और जो बड़े हो गए वे रोजी में लग गए। फिर भी अपनी अगली पीढ़ी को अपनी भाषा व सांस्कृतिक पहचान न सौंप पाने का बुजुर्गों को मलाल भी है और युवा पीढ़ी की अपनी पहचान के प्रति उदासीनता देखकर उनमें खिन्नता भी है।

परंपराएँ

मोटे तौर पर हिन्दू रीति-रिवाजों और परंपराओं के नज़दीक इस जनजाति में कई ऐसी परंपराएँ हैं जो इसे अपनी अलग पहचान भी देती हैं। ख़ासकर विवाह, मृत्यु आदि से जुड़ी परंपराएँ।

विवाह के मामले में भारिया समुदाय भी कई अन्य आदिवासी समुदायों की तरह तथाकथित सभ्य समाज से अधिक प्रगतिशील है। यहाँ विवाह का फ़ैसला सिर्फ़ दो परिवार मिलकर तय नहीं करते। पारिवारिक सहमति से अधिक महत्वपूर्ण लड़की की सहमति है। युवक-युवतियाँ स्वयं

अपने जीवनसाथी का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। परिवार द्वारा विवाह तय किये जाने की स्थिति में यदि वर-वधु दोनों में से किसी की भी सहमति नहीं है तो उन पर विवाह के लिए किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाता है।

सामान्यतः विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को उपहार देने की परंपरा विभिन्न समुदायों में दिखाई देती है किन्तु भारिया समुदाय में विवाह के समय वर पक्ष वधु पक्ष को उपहार देता है और दोनों पक्ष मिलकर सभी अतिथियों को सम्मिलित भोज देते हैं।

पारिवारिक विवाद या तलाक़ की स्थिति उत्पन्न होने पर भारिया कभी परिवार परामर्श केंद्र या कानून की शरण में नहीं जाते। इसके लिए इनके अपने नियम-क़ायदे हैं। तलाक़ की स्थिति निर्मित होने पर समुदाय की पंचायत आयोजित की जाती है, जहाँ दोनों पक्षों की बात सुनने के उपरांत पंचायत निर्णय लेती है। पति या पत्नी की इच्छा के विरुद्ध तलाक़ देने पर संबंधित पर जुर्माने का भी प्रावधान है। यह जुर्माना पीड़ित के परिवार को दिलाया जाता है, जो कि खाद्य सामग्री व संबंधित की आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ धनराशि के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त संबंधित को पंचायत के लिए भोज भी दंडस्वरूप देना होता है। तलाक़ की स्थिति में बच्चों के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी माता-पिता में से कोई भी ले सकता है, जिसका निर्णय भी पंचायत में ही लिया जाता है।

जन्म, विवाह के समय होने वाली रीतियाँ बहुत हद तक हिन्दू रीतियों के नज़दीक हैं किन्तु मृत्यु के समय की रीतियाँ सर्वथा भिन्न हैं। किसी की मृत्यु होने पर शव को जलाने के बजाय दफ़नाने की परंपरा है। परिवार के वृद्ध की मृत्यु होने पर घर के नज़दीक एक निश्चित स्थान पर उनकी उपस्थिति के प्रतीक स्वरूप मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके लिए दफ़नाने के स्थान पर पूजा-अर्चना कर गाजे-बाजे के साथ मूर्ति लाकर घर के नज़दीक स्थापित की जाती है। भारिया समुदाय के लोगों का मानना है मूर्ति में वे मृत व्यक्ति की आत्मा को लेकर आते हैं। मृत्यु के नवें अथवा दसवें दिन नज़दीकी रिश्तेदारों व गाँव के लोगों के लिए भोज आयोजित

चिमटीपुर गाँव में परिवार के बुजुर्गों की मृत्यु के बाद स्थापित की गई उनकी प्रतीकात्मक मूर्तियाँ

किया जाता है। पर्व-त्यौहारों व पारिवारिक समारोहों के अवसर पर इन मूर्तियों की पूजा की जाती है।

मृत्यु और उसके बाद की यह प्रक्रिया भारिया समुदाय के लिए शोक के बजाय उल्लास का अवसर है। भारिया समुदाय के लोगों का मानना है कि इस तरह वे अपने बुजुर्गों को अपने बीच वापस लाते हैं, बुजुर्ग उनकी निगरानी करते हैं और अच्छे-बुरे समय में उनकी सहायता करते हैं।

पहाड़ वाला शॉर्टकट

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि पातालकोट एक दुर्गम क्षेत्र है, जो चारों ओर से ऊँची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर वहाँ के रहवासियों की जो पहली मुश्किल नज़र आती है, वह है आवागमन की दुश्वारियाँ। यह दुश्वारियाँ पातालकोट की भी हैं।

ज़िला मुख्यालय छिंदवाड़ा से पातालकोट का सबसे नज़दीकी गाँव है रातेड़। छिंदवाड़ा से बिजौरी होते हुए सड़क मार्ग रातेड़ के ऊपर बने व्यू प्वाइंट तक जाता है। व्यू प्वाइंट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक वहाँ से रातेड़ की दूरी महज़ डेढ़ किलोमीटर है, मगर जब तय की जाती है तो पहाड़ों की यह खड़ी और टेढ़ी-मेढ़ी चढ़ाई दोगुनी दूरी का आभास कराती है।

घटलिंगा से सौपटिया के रास्ते का दृश्य

हमारी पहली यात्रा के दौरान जब हम रातेड़ पहुँचे तो ग्रामीणों ने बताया कि 'स्थायी (पक्का) सड़क मार्ग अब तक कई गाँवों तक नहीं पहुँचा है, हालांकि कच्चा सड़क मार्ग पहले तीन-चार बार बना लेकिन एक बारिश होते ही वह नष्ट हो जाता है। इसलिए व्यू प्वाइंट तक यानी सबसे नज़दीकी सड़क तक पहुँचने का यही एकमात्र रास्ता रहा है। अब पहली बार पक्की सड़क बन रही है।'

हमें अपनी यात्राओं के दौरान चिमटीपुर से कारेयाम तक सड़क निर्माण का काम चलता हुआ दिखा भी, जो कि रातेड़ से होकर जाता है। पर इस सड़क के बनने से भी आवागमन कितना आसान होगा यह कहना मुश्किल है। वजह यह कि सड़क मार्ग से रातेड़ से व्यू प्वाइंट की दूरी डेढ़ कि.मी. के बजाय लगभग 30 कि.मी. हो जाएगी। दूरी का इस तरह बढ़ जाना पहाड़ी इलाकों की सड़कों के साथ जुड़ी और ख़त्म न की जा सकने वाली मजबूरी है और जिसे ग्रामीण भी समझते हैं।

घटलिंगा और चिमटीपुर को छोड़ दें तो फ़रवरी 2016 तक किसी अन्य गाँव के द्वार तक पक्की सड़क नहीं पहुँची थी। और कच्ची सड़क का हाल पहले बताया ही जा चुका है।

आवागमन में पगडंडियों की तुलना में साफ़, चौड़ा और पक्का रास्ता अधिक सुविधाजनक होता है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ़ पक्का सड़क मार्ग बन जाने से आवागमन की मुश्किल ख़त्म हो जाएगी यह भी नहीं कहा जा सकता, ख़ासकर तब, जबकि आवागमन के साधनों का अभाव हो।

घटलिंगा तक तो यातायात के साधनों की फिर भी कभी-कभार आवाजाही होती है लेकिन पातालकोट के बाकी गाँवों में रहने वाले ग्रामवासियों को न्यूनतम 3 कि.मी. से लेकर 8 कि.मी. की दूरी पैदल ही तय करनी होती है, ताकि वे उस सड़क तक पहुँच सकें जहाँ से उन्हें आवागमन का कोई साधन मिल सके। हालाँकि वहाँ तक पहुँचकर भी कोई साधन समय से उपलब्ध हो सकेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि असल मुश्किल यह है कि कई सालों से जहाँ तक सड़क है वहाँ से शहर या बाज़ार तक पहुंचाने के लिए बसों का अभाव है। हालाँकि छिन्दवाड़ा से भोपाल और नरसिंहगढ़ के लिए दो अलग-अलग सड़क मार्ग हैं जो पातालकोट की परिधि से होते हुए गुज़रते हैं और उन मार्गों से कुछ प्रायवेट बसों के आने-जाने का समय निर्धारित है, लेकिन किसी भी गाँव से बस के लिए निर्धारित स्टॉप तक पहुँचने के लिए उक्त दूरी पैदल ही पार करनी पड़ती है। इन मार्गों पर भी एक-दो ही प्रायवेट बसें आती हैं जो शाम

को वापस होती हैं। अगर वह निकल गईं तो दूसरा विकल्प कमांडर, सूमो और टाटा 207 जैसी कुछ प्राइवेट गाड़ियां हैं जिनके आने-जाने का कोई निश्चित समय नहीं है और इनका किराया भी बसों की तरह सामान्य नहीं है। बिजौरी से रातेड़ व्यू प्वाइंट के लिए यदि आप बस में 10 रुपये देकर आ सकते हैं, तो वहीं इन छोटे वाहनों में आपको कम से कम 30 रुपये देने होते हैं। यदि आपके साथ कोई सामान 20-25 किलो से अधिक का हुआ तो उसका किराया अलग देना होता है। इस स्थिति में सेहरा पचगोल जैसे अंदरूनी गाँवों के लिए सवारी और सामान दोनों का ही किराया 50 से 60 रुपये तक हो जाता है, जिसे चुकाने के बाद बोझ लेकर 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पैदल भी तय करनी होती है।

यह तो उन गाँवों की स्थिति है जिनके नज़दीक सड़क मार्ग है, लेकिन सौपटिया, कौड़िया, सूखाभांड, हारमउ आदि कुछ गाँव ऐसे भी हैं जहाँ तक पक्का तो क्या, कच्चा सड़क मार्ग भी नहीं है। इन गाँवों के बीच आवागमन के लिए कई जगह तो रास्ता ही नहीं है। ऐसे में न केवल आवागमन दुश्कर है बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुँच भी कम हो जाती है।

उदाहरण के लिए जब हम घटलिंगा में ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे तो हमें पता चला कि उस दिन कौड़िया के आंगनबाड़ी केंद्र में एक शिविर आयोजित है जिसमें पंचायत की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगी और केन्द्रों में जितने भी कुपोषित बच्चे हैं वे भी वहाँ होंगे। हमने तय किया कि हमें कौड़िया जाना चाहिए। लेकिन हमें सौपटिया गाँव भी जाना था जहाँ पहाड़ों पर पैदल चलकर ही जाया जा सकता था। तय हुआ कि कुछ लोग सड़क मार्ग से होते हुए सीधे कौड़िया पहुँचेंगे और कुछ लोग सौपटिया होते हुए पहाड़ी रास्ते से पैदल पहुँचेंगे। हम छः लोग दो टीमों में बंट गए। एक टीम निजी वाहन से सड़क मार्ग से होते हुए निकली और दूसरी टीम पैदल। गौरतलब है कि घटलिंगा से कौड़िया की पैदल दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर है, जिसके बीच में सौपटिया गाँव पड़ता है। पैदल टीम पहले सौपटिया पहुँची जहाँ ग्रामीणों के बीच तकरीबन 40 मिनट का

समय बिताया और फिर कौड़िया पहुँची। प्रातः 11 बजे घटलिंगा से शुरू हुई यह पैदल यात्रा शाम 4 बजे कौड़िया में समाप्त हुई। लेकिन पैदल टीम के लिए अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि जो टीम निजी वाहनों से बिना रुके कौड़िया के लिए निकली थी वह भी पैदल टीम के साथ-साथ ही वहाँ पहुँची थी। यानी घटलिंगा के निवासी को अगर सार्वजनिक वाहनों के सहारे कौड़िया आना हो तो यातायात के साधन का इंतज़ार करते हुए सड़क मार्ग और फिर पैदल रास्ते से पहुँचने में संभवतः पूरा दिन लग जाएगा।

शायद यही वजह है कि पातालकोट के निवासी सामान्य स्थितियों में यातायात के साधनों को तरजीह न देते हुए तीन-चार पहाड़ियों को चढ़ते-उतरते हुए पैदल ही शॉर्टकट से सफर तय करना मुफ़ीद मानते हैं।

इस शॉर्टकट को अपनाने के पीछे एक वजह और भी है। पहाड़ की तलहटी में बसे गाँवों में रात जल्द ही घिरती है जिसका हवाला हर गाँव में बातचीत के दौरान लोगों ने दिया और यह भी जताया कि हमेशा ऐसा संभव नहीं होता कि वे दूसरे गाँव या शहर जाएँ और रात वहाँ रुक सकें। भले ही शाम ढले लौटना हो पर ज़रूरी होता है। ऐसे में यातायात के साधनों पर भरोसा करके इस लंबी दूरी को तय नहीं किया जा सकता, अगर वे ऐसा करेंगे तो नियत स्थान तक पहुँचने में ही सारा दिन चला जाएगा, फिर लौटेंगे कब!

अब तक का ज़िक्र तो सामान्य स्थितियों में आवागमन का हुआ। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुँच में भी आवागमन की उचित व्यवस्था का अभाव एक बाधा की तरह है। इस बात को इन दो वक्तव्यों से आप समझ सकते हैं-

1. तारा भारती, ग्रामः रातेड़, छात्रा कक्षाः 9

''हम कक्षा 9 में पढ़ते हैं और सिंधौली के स्कूल में जाते हैं। सिंधौली रातेड़ प्वाइंट से 7 किलोमीटर है। हमें यहाँ से रोज बस्ता के साथ पहाड़ चढ़कर जाना पड़ता है। पैदल चलने का मन नहीं करता और थक जाते हैं।

बीच में रुक-रुक कर साँस लेते हैं (आराम करते हैं) फिर ऊपर पहुँचते हैं। ऐसे कम से कम आधा-एक घण्टे में तो ऊपर पहुँच पाते हैं। और दूसरे बच्चे भी हमारे साथ ऐसे ही जाते हैं। पहाड़ चढ़ने के बाद भी सिंधौली तक पैदल ही जाते है।

स्कूल जाने के लिए हमें सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है और स्कूल 11:30 बजे तक स्कूल पहुँच पाते हैं। कभी-कभी लेट भी हो जाते हैं तो मैडम-सर डाँटते हैं। फिर 4:30 बजे छुट्टी होती है तो पैदल घर लौटते हैं। 7 बजे तक घर पहुँच पाते हैं। बहुत थक जाते हैं तो घर पर आकर पढ़ नहीं पाते। कभी-कभी स्कूल का काम भी पूरा नहीं कर पाते।''

2. बतिया बाई भारती, ग्रामः कर्रापानी, गृहिणी

''जब हमारी शादी हुई तब हम अंदाज़े से 16 साल के थे। पहले बच्चे की डिलिवरी घर में ही कराई थी। दूसरे बच्चे के समय तामिया अस्पताल गए थे। लेने के लिए जननी एक्सप्रेस वाली गाड़ी आई थी सड़क तक क्योंकि गाँव तक आने के लिए सड़क नहीं है। सड़क यहाँ से एक-डेढ़ किलोमीटर दूर है, वहाँ तक हमें चार आदमी खाट पर लेकर गए थे। अस्पताल से लौटने में जननी एक्सप्रेस वाली गाड़ी नहीं आई, कहने लगे कि रास्ता ख़राब है तो किसी की मोटर साइकिल से हमें घर लेकर आए।

तीसरे बच्चे के समय आशा कार्यकर्ता गाँव में नहीं थीं, तो पैदल चलकर बस्ती तक गए वहाँ से किसी की मोटर साइकिल से हमें तामिया अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ पहुँचने तक मामला बिगड़ गया और हमें छिंदवाड़ा अस्पताल रेफर कर दिया लेकिन वहाँ डिलिवरी के बाद बच्चा मर गया।

फिर हमने नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया लेकन बाद में टांका पक गया तो ऐसे ही परेशान होकर अस्पताल तक गए

तो डॉक्टर ने टांका सूखने की दवा दी। तीसरे बच्चे के समय आने-जाने और बाकी खर्चे में 1000 *रुपये लग गए जो हमने कर्जा लिया था।*

गाँव की सभी गर्भवती औरतों को ऐसी परेशानी उठानी पड़ती है। पक्की सड़क तक पहुँचने के लिए एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब कोई साधन मिलता है। कभी-कभी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि मजबूरी में डिलिवरी घर पर ही करानी पड़ती है। टाइम से अस्पताल की सुविधा न मिल पाने से कभी-कभी बच्चा या माँ मर भी जाते हैं, जैसा हमारे साथ हुआ।''

हालाँकि गाँव-गाँव तक सड़क बनने की बात सुनकर और ऐसा होते हुए देखकर ग्रामीण खुश हैं लेकिन वे यह भी कहते हैं कि अगर आवागमन के साधन बढ़ें तो इन सड़कों का भी कुछ लाभ हो, वरना जब पैदल ही चलना है तो यह पहाड़ वाला शॉर्टकट ही सही है।

ज्ञान की दुश्वार राह

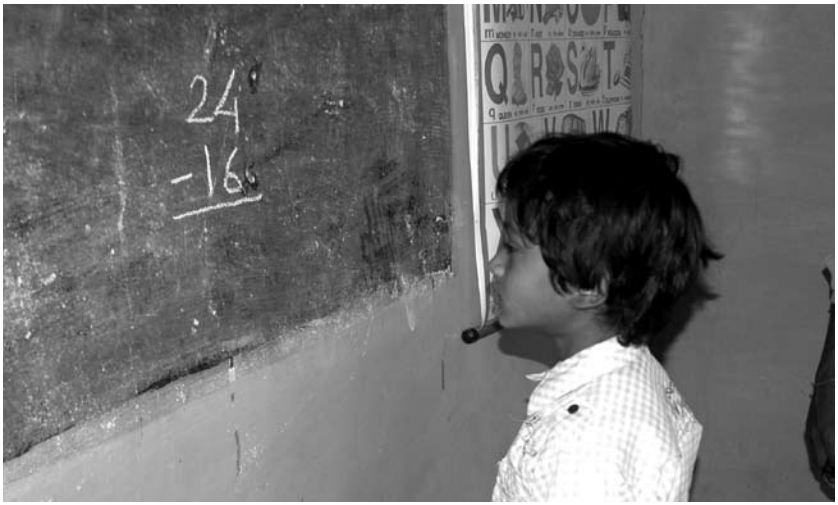

दो अंकों की संख्या को घटाने के सवाल का हल सोचता कक्षा 5 का एक बच्चा

कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास की प्रथम आवश्यकता है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार पातालकोट क्षेत्र में 14 प्राथमिक विद्यालय, 4 माध्यमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। इसके अलावा 6 कन्या आश्रम शाला और 4 बालक आश्रम शाला हैं। पातालकोट क्षेत्र से बाहर भी केवल भारिया छात्र-छात्राओं के लिए बिजौरी में 2 बालक आश्रम व 1 कन्या आश्रम स्थापित है। सभी आश्रम शालाओं में 50-50 सीट स्वीकृत हैं। इन विद्यालयों और आश्रम शालाओं की मौजूदगी दर्शाती है कि पातालकोट में शिक्षा के लिए अधोसंरचनात्मक व्यवस्था बहुत उत्तम है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के हालात की वास्तविक स्थित विद्यालयों की संख्या से नहीं बल्कि शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों के ज्ञान की परीक्षा से

होती है। इस लिहाज़ से विद्यालयों व आश्रमों की यह संख्या महज़ आंकड़ों का खेल है।

तालिका-2: भारिया विकास अभिकरण के दस्तावेजों के अनुसार पातालकोट क्षेत्र में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल

क्र.	विद्यालय	ग्राम
1	प्राथमिक शाला	दौरियापाठा (रातेड़), तालाबढाना (चिमटीपुर), जड़मादल, सेहरा पच. गोल, कारेआम, गैलडुब्बा, पचगोल, सूखाभाण्ड हारमउ, रातेड़, कौड़िया, हर्राकछार, चिमटीपुर, घटलिंगा, गुढ़ीछतरी
2.	माध्यमिक शाला	गैलडुब्बा, चिमटीपुर, घटलिंगा, हर्राकछार
3.	हाई स्कूल	घटलिंगा

उक्त सूची के इतर वास्तविकता यह है कि भारिया विकास अभिकरण के सरकारी दस्तावेजों में कारेआम में जो प्राथमिक शाला दर्ज है, वह वहाँ है ही नहीं। कारेआम के निवासियों के मुताबिक तीन साल पहले तक वहाँ प्राथमिक शाला थी, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। कारेआम के बच्चे या तो रातेड़ की प्राथमिक शाला में जाते हैं या फिर सिंधौली के विद्यालय में। कारेआम को छोड़कर पातालकोट के सभी गाँवों में प्राथमिक शाला है।

हमारे सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा सत्र 2015-16 में इन शालाओं में दर्ज बच्चों की संख्या इस प्रकार है-

तालिका-3ः शिक्षा सत्र 2016-17 में
प्राथमिक शालाओं में दर्ज बच्चों की संख्या

क्र.	प्राथमिक शाला	कक्षावार दर्ज बच्चे				
		1	2	3	4	5
1	गैलडुब्बा	10	26	18	6	13
2	चिमटीपुर	8	11	11	13	7
3	कर्रापानी	3	5	7	5	5
4	रातेड़	10	8	21	12	5
5	सेहरा	22	11	22	10	11
6	हर्राकछार	10	15	19	12	17
7	जड़मादल	2	5	5	3	2
8	पचगोल	0	4	1	3	0
9	घटलिंगा	12	19	17	17	16
10	गुढ़ीछतरी	9	17	6	12	12
11	घाना कौड़िया	10	4	11	3	14
योग		96	125	138	96	102
कुल बच्चे		557				

चूँकि सभी गाँवों में प्राथमिक शाला है इसलिए प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों को कहीं नहीं जाना पड़ता लेकिन इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हें गैलडुब्बा, हर्राकछार, चिमटीपुर, घटलिंगा के विद्यालय में दाखिला लेना होता है। लेकिन इन माध्यमिक शालाओं की अन्य गाँवों से अधिक दूरी और आवागमन की सुविधा न होने के कारण अन्य गाँवों के लगभग 60 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। हालाँकि रातेड़, कारेआम जैसे गाँवों के बच्चे अपने नज़दीकी सिंधौली के माध्यमिक विद्यालय में भी दाख़िला लेते हैं और अन्य गाँवों के बच्चे बिजौरी के बालक या कन्या

आश्रम में दाखिला लेकर पढ़ते हैं। यहाँ समस्या यह है कि उक्त आश्रमों में कुल 150 बच्चे ही रह सकते हैं। हमें ग्रामीणों ने बताया कि अगर आश्रम मिल गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है क्योंकि रोज-रोज न तो बिजौरी आ-जा सकते हैं और न ही इतने पैसे हैं कि किराये पर कमरा दिलवाकर बच्चों को वहाँ रख सकें। बहुत ही कम परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे कमरा किराये पर लेकर अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यानी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले तकरीबन 35 से 40 प्रतिशत बच्चे ही माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। आर्थिक अक्षमता और पर्याप्त शासकीय आवासीय शिक्षण संस्थानों की अनुपलब्धता के कारण माध्यमिक से आगे की शिक्षा में यह प्रतिशत और भी गंभीर रूप से कम होता जाता है।

हमने जिन 130 परिवारों की जानकारी एकत्र की, उसके अनुसार यही स्थिति सामने आती है -

तालिका-4: स्तर के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत

क्र.	स्तर	प्रतिशत
1	अशिक्षित	25
2	साक्षर	11
3	प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक)	45
4	माध्यमिक (8वीं)	10
5	उच्च (10वीं)	6
6	उच्चतर (12वीं)	2.3
7	स्नातक	0.7
कुल		100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारिया समुदाय की लगभग 36 प्रतिशत आबादी परिभाषा के अनुसार अशिक्षित है। 45 प्रतिशत लोगों को ही

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। जैसे ही माध्यमिक और उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हैं यह प्रतिशत कम से कम होता चला जाता है। हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक 130 परिवारों से ली गई जानकारी में सिर्फ 10 प्रतिशत 8वीं तक, 6 प्रतिशत 10वीं तक और 2.3 प्रतिशत 12वीं तक शिक्षित हैं। सर्वेक्षण में सिर्फ़ व्यक्ति की जानकारी सामने आई जिसने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की है।

शासकीय व्यवस्था में शिक्षा की पहली कड़ी अधोसंरचना का निर्माण होता है, जो कि पातालकोट में शालाओं व छात्रावास (आश्रम) की मौजूदगी से स्पष्ट है कि अस्तित्व में है। किंतु अधोसंरचनाओं के होने से शिक्षा का स्तर तय नहीं किया जा सकता, वह तय होता है अच्छे शिक्षकों, शिक्षा के अनुकूल वातावरण और आवश्यक सुविधाओं की मौजूदगी से।

शिक्षकों की उपस्थिति की बात करें तो अपनी कई यात्राओं के दौरान गैलडुब्बा के अतिरिक्त हमें किसी भी विद्यालय में स्थायी रूप से पदस्थ शिक्षक/प्रधानाध्यापक उपस्थित नहीं मिले, और न ही किसी आश्रम में आश्रम प्रबंधक। तकरीबन सभी विद्यालय और आश्रम अतिथि शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं, जिन्हें 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तन्ख़्वाह दी जाती है। विद्यालयों में मौजूद अतिथि शिक्षकों ने बताया कि उनकी तनख़्वाह की गणना में साप्ताहिक अवकाश शामिल नहीं किया जाता, यानी हर महीने के रविवार, जिनकी कि अन्य स्थायी शासकीय शिक्षकों को कार्यालयीन दिवस की तरह ही गणना होती है और उनकी उन्हें तनख़्वाह भी मिलती है, इन अतिथि शिक्षकों के लिए अवकाश ही माने जाते है, जिनकी उन्हें तनख़्वाह नहीं दी जाती। अतिथि शिक्षक के रूप में उसी गाँव या नज़दीकी

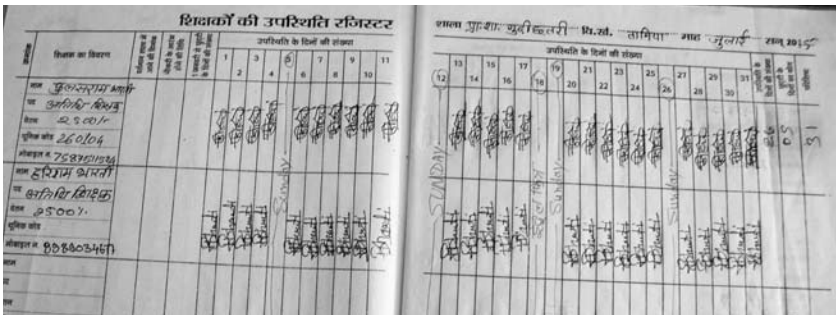

प्राथमिक शाला गुढ़ीछतरी में अतिथि शिक्षकों को उपस्थिति-पत्रक और उसमें अवकाश की गणना

गाँव के १२वीं पास व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है जबकि स्थायी शिक्षक पातालकोट क्षेत्र से बाहर के हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्थायी शिक्षक, ख़ासकर प्रधानाध्यापक बिजौरी या छिंदवाड़ा में रहते हैं, जो सप्ताह में दो-तीन बार ही विद्यालय आते हैं। कुछ जगह तो यह भी बताया गया कि प्रधानाध्यापक स्टाफ के हाजिरी रजिस्टर में आने वाले दिनों के भी दस्तखत पहले ही कर जाते हैं। अधिकांश विद्यालयों में किन्हीं कारणों से हम स्टाफ़ हाज़िरी रजिस्टर का मुआयना नहीं कर सके, लेकिन जिन विद्यालयों में हम ऐसा कर सके उनमें से कुछ में इस बात की सत्यता भी प्रमाणित हुई।

यह भी गौरतलब है कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में 3 से अधिक शिक्षक नहीं हैं। कर्रापानी और जड़मादल के प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, जबकि कौड़िया, पचगोल व सेहरा में एक ही शिक्षक है। हर विद्यालय में औसतन एक अतिथि शिक्षक है। यानी विद्यालयों में कक्षाओं के अनुरूप पर्याप्त शिक्षक भी नहीं हैं जिसके चलते शिक्षकों को दो-दो कक्षाओं में एकसाथ पढ़ाना होता है।

इस अध्ययन के दौरान हमने रातेड़, चिमटीपुर, गैलडुब्बा, कर्रापानी, घटलिंगा, कौड़िया, पचगोल, सेहरा, हर्राकछार की प्राथमिक शालाओं और आश्रमों का भ्रमण किया और छात्रों से बातचीत भी की। हमारा मकसद था कि विद्यालय में शिक्षण के स्तर को हम जान सकें। इसके लिए हमने हर विद्यालय में कक्षा 4 व 5 के कई छात्र-छात्राओं से बातचीत की और पाया कि अधिकांश छात्र-छात्राएँ न तो किताब ही ठीक से पढ़ पा रहे हैं और न ही दो अंकों के सरल से जोड़-घटाने के गणित के सवाल हल कर पा रहे हैं। अपवाद स्वरूप इन सभी विद्यालयों में कुल 6-7 बच्चे ही ऐसे थे, जिन्होंने बिना किसी हिन्ट या सहयोग के थोड़ा समय लेकर गणित के सवाल हल किए और किताब भी अन्य बच्चों की अपेक्षा कम अटके पढ़ी।

उपरोक्त स्थितियों से पातालकोट क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में कारेआम, सौपटिया, जड़, खमारपुर जैसी बस्तियों के बच्चों की जद्दोजेहद की कल्पना करना मुश्किल तो नहीं जहाँ प्राथमिक विद्यालय भी नहीं हैं।

हालाँकि इन स्थितियों के बावजूद जो एक बात सुखद और किसी हद तक शिक्षा के मामले में उम्मीद की किरण की तरह दिखी वह थी कि कन्या आश्रम शालाओं की मौजूदगी और और उनमें छात्राओं की उपस्थिति।

नवीन आदिवासी कन्या आश्रम कौड़िया की एक कक्षा

बहरहाल प्राथमिक शिक्षा तो जैसे-तैसे छात्रों को मिल ही जाती है, लेकिन उसके आगे ज्ञान की राह दुश्वार है, जिसका प्रमुख कारण सुविधाओं के अभाव में शाला त्याग देना होता है। लेकिन जो छात्र माध्यमिक शिक्षा में दाखिला लेते हैं उनके लिए भी शिक्षा की राह मुश्किलों भरी है। उदाहरण के लिए रातेड़ में प्राथमिक विद्यालय भी है और छात्रावास भी। बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं और एक सोलर लैंप भी। लेकिन जब इसी गाँव की कक्षा 7 और 8 की छात्रा पार्वती व गौरारानी से बात की तो पता चला कि बिजली कभी-कभार ही आती है और रात में तो अक्सर नहीं ही रहती। सोलर लैंप भी कभी ठीक काम करता है, कभी नहीं। इन छात्राओं को अपने विद्यालय पहुँचने के लिए रोजाना पहले पहाड़ चढ़कर मुख्य सड़क तक फिर वहाँ से लगभग 7 किमी दूर सिंदौली स्थित माध्यमिक विद्यालय पहुँचना होता है। यानी इन छात्राओं को पढ़ने के लिए रोज तक़रीबन 18 किमी पैदल चलना पड़ता है। यानी पूरा दिन स्कूल जाने-आने में ही लग जाता है। और जब सड़क बन जाएगी तब भी यही आलम होगा क्योंकि एक तो सड़क मार्ग से यह दूरी लगभग 40 किमी के आसपास होगी और दूसरी वजह है परिवहन के साधनों का अभाव। हाँ, यह जरूर संभव है कि सड़क बन जाने पर रातेड़ के बच्चे सिंदौली की जगह चिमटीपुर के माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने जाएँ, जिसके लिए आने-जाने का मिलाकर 10 किमी पैदल चलना ही होगा।

माध्यमिक शिक्षा के बाद 12वीं तक की पढ़ाई के लिए घटलिंगा पंचायत में तो हाई स्कूल है पर यदि कारेआम और हर्राकछार पंचायत

के बच्चों को आठवीं से आगे पढ़ना है तो शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाने के बावजूद उनके लिए रोज़ कम से कम 15 से 20 कि.मी. पैदल चलना अनिवार्य शर्त है। तकरीबन सभी गाँवों में बिजली की स्थिति भी वही है जो रातेड़ की है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा व्यवस्था में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय के अलावा जिस अतिरिक्त समय की दरकार होती है वह इन बच्चों को मयस्सर ही नहीं होता। शायद यही वजह है कि भारिया समुदाय के बच्चों का शैक्षणित स्तर औसत है।

एक अपवाद

हालाँकि कारेआम् गाँव इन स्थितियों के बाद भी एक अपवाद की तरह है। कुल 218 की आबादी वाले इस गाँव के सारे बच्चे शिक्षित हैं, किसी ने भी हाई स्कूल से पहले पढ़ाई नहीं छोड़ी और बीते तीन वर्षों में यहाँ के 7 लोगों ने सरकारी नौकरी पाई है। बावजूद इसके कि यहाँ प्राथमिक विद्यालय भी बंद हो चुका है। लेकिन इसकी वजह है एकलव्य आवासीय शिक्षा योजना।

कारेआम के ग्रामीण बताते हैं- ''एकलव्य विद्यालय वाले 5वीं से आगे की पढ़ाई के लिए गाँव के बच्चों को ले जाते हैं। वहीं उनका खर्चा भी उठाते हैं। छुट्टियाँ होने पर अपनी गाड़ी से बच्चों को छोड़ भी जाते हैं और छुट्टी ख़त्म होने पर ले जाते हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उन्हें वे इंदौर तक भेजते हैं। जिन बच्चों को नौकरी मिली है उन सब को एकलव्य वालों ने पढ़ाया है।''

आदिम जनजाति के छात्रों के लिए सरकार द्वारा संचालित एकलव्य आवासीय शिक्षा योजना के बारे में ग्रामीणों को इसके अतिरिक्त और कुछ भी पता नहीं है कि वह एक स्कूल है जो उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है।

स्वास्थ्यः सुविधाओं का इंतज़ार

आंगनबाड़ी केंद्र घानाकौड़िया में आयोजित स्नेह शिविर में एक बच्ची अपनी दादी के साथ

भारिया समुदाय के स्वास्थ्य की स्थिति को तीन स्तर पर समझा जा सकता है - पोषण, पारंपरिक ज्ञान और स्वास्थ्य सुविधाएँ। भारिया लोगों के भोजन में वनोपज से प्राप्त कंद-मूल भी शामिल हैं और पारंपरिक रूप से उगाए जानी वाली कोदो, कुटकी, बल्हर, अरहर, मक्का व अन्य मोटे अनाज वााली फ़सलें भी। वे थोड़ी-बहुत गेहूँ की खेती भी करते हैं। खेती के वक्त वे रासायनिक खाद का इस्तेमाल न्यूनतम करते हैं, जिस कारण बहुत हद तक वे अनाज के कारण होने वाले रासायनिक प्रभावों से मुक्त हैं। तकरीबन हरेक भारिया के घर के पास ही सब्जी-भाजी की क्यारियाँ मिलेंगी, जिस कारण बाज़ार से सब्जियाँ ख़रीदने की अपनी ज़रूरत को वे कम से कम करते हैं। कंद-मूल व अन्य वनोपज के साथ बिना रासायनिक खाद के

उत्पन्न अनाज के सेवन के कारण ही शायद भारिया जनजाति के लोगों की रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक भी है। इसके अलावा पीडीएस से प्राप्त चावल और गेहूँ भी इनके पोषण का आधार है।

बीमार हो जाने पर भारिया जनजाति के लोग चिकित्सालय के बजाय अपने पारंपरिक ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं। उल्लेखनीय है कि पातालकोट जड़ी-बूटियों के लिए विख्यात क्षेत्र भी है और भारिया समुदाय पीढ़ियों से इन जड़ी-बूटियों का ज्ञान रखता है। हालाँकि अब आधुनिक समय के अनुरूप भारिया भी अस्पतालों और आधुनिक चिकित्सा की ओर रुख करने लगे हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में भी आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था उनके लिए प्राथमिक होती है, या फिर तब जबकि जड़ी-बूटियों के पारंपरिक इलाज से रोग नियंत्रण में नहीं आता। वरना तो वे तकरीबन हर बीमारी का इलाज पहले अपने जड़ी-बूटी के आयुर्वेदिक ज्ञान में ही तलाश करते हैं।

हालांकि मज़बूत रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण वे बीमारियों से जल्द ही उबर जाते हैं, लेकिन कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया दो ऐसी व्याधियाँ हैं जो किसी भी भारिया परिवाार में देखी जा सकती हैं। इसकी वजहें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तामिया में पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय सिंह के वक्तव्य से साफ़ समझी जा सकती हैं। वे कहते हैं -

डॉ. विजय सिंह
स्वास्थ्य अधिकारी,
तामिया

''भारिया जड़ी-बूटी के अपने पारंपरिक ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं। वे अस्पताल की ओर तब रुख करते हैं जब स्थिति गंभीर हो जाती है। हालाँकि कुछ नैसर्गिक रूप से और कुछ वनोपज, कंद-मूल जैसे कि आँवला, चिरौंजी, मूसली, बहेरा आदि के सेवन के कारण इन लोगों का पाचन-तंत्र ठीक रहता है और इम्यून सिस्टम काफी मज़बूत होता है इसलिए वे जल्दी ही बीमारी से रिकवर कर जाते हैं। हालांकि खानपान के मामले में भारियाओं में एक उदासीनता

का भाव होता है। अपना अधिकांश समय ये लोग जंगल या अपने खेत में बिताते हैं, इसलिए इनका भोजन करने का समय नियमित नहीं होता।

दूसरी बात यह भी है कि अक्सर माँ छोटे बच्चों को घर पर ही बुजुर्गों या अन्य बड़े बच्चों के भरोसे छोड़कर जंगल या खेत पर चली जाती है और शाम को लौटती है। इतने समय में छोटे बच्चे को न तो माँ का दूध मिलता है और न ही उचित पोषण। बड़े बच्चे या बुजुर्ग आसपास जो होता है बच्चों को खिला देते हैं। कुछ भारिया गाय या बकरी भी पालते हैं लेकिन अधिकांश परिवारों में दूध का स्रोत उपलब्ध न होने के कारण से बच्चों में कुपोषण की समस्या है। खानपान के प्रति यह उदासीनता महिलाओं के साथ भी है। आँगनबाड़ी केंद्रों से किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं, लेकिन देखा गया है कि महिलाएँ टैबलेट्स खाने में लापरवाही बरतती हैं। गर्भावस्था के दौरान भी खाने-पीने का ध्यान नहीं रखा जाता या यूँ कहिए कि उनके पास वनोपज से प्राप्त फल-फूल के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होता। नतीजा यह होता है कि अस्पताल में आने वाली लगभग सभी गर्भवती महिलाएँ एनीमिया की शिकार होती हैं। कुछ तो गंभीर रूप से। बावजूद इसके यह इनकी मजबूत इच्छाशक्ति और प्रतिरोधक क्षमता का ही परिणाम कहा जा सकता है कि प्रसव के आठ दिन बाद ये फिर से जंगल और खेतों में काम करने लगती हैं।

वैसे तो यह भारिया जनजाति के डीएनए के कारण ही है लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अंश सर्वांगीण पोषण में कमी का भी शामिल होता है जिसकी वजह से 25 साल की उम्र का युवा भारिया भी देखने में 35-40 साल का प्रतीत होता है।''

स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो पातालकोट की स्थिति काफ़ी दयनीय है। यूँ तो सभी गाँवों में आँगनबाड़ी केन्द्र हैं, लेकिन कहीं

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं पहुँचतीं तो कहीं आँगनवाड़ी के लिए भवन नहीं है। गैलडुब्बा, गुढ़ीछतरी और कौड़िया के अलावा सभी गांवों में लगभग यही स्थिति है। ग्रामीणों के अनुसार कहीं सप्ताह में 3 दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती हैं, तो कहीं एक ही दिन।

आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले लाभ से सर्वाधिक वंचित है हर्राकछार पंचायत का गाँव 'सेहरा'। यहाँ के आँगनबाड़ी केंद्र में वर्ष 2015–16 में दर्ज बच्चों की संख्या लगभग 80 थी और आँगनबाड़ी कार्यकर्ता थीं सुनीता अंगारे। जब हमने सेहरा-पचगोल के ग्रामीणों से बात की तो जो जानकारी सामने आई वह यूँ है -

> *''आँगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता अंगारे गोहीखेड़ा गाँव की हैं जो कि पचगोल के पास है और सेहरा से 15 किमी दूर है। वह केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे अवसरों पर ही आती हैं और बीते कई महीनों से वहाँ नहीं आई हैं, इसलिए भवन बंद ही पड़ा है। उनके न आने की वजह से धात्री महिलाएँ, किशोरियाँ व बच्चे आँगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। पूर्व में उसी गाँव की आँगनबाड़ी सहायिका सुमरबती अंगारे को भी हटा दिया है। ग्रामवासियों ने पंचायत के सामने कई बार यह माँग उठाई और आवेदन-पत्र भी दिया कि गाँव में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता का होना ज़रूरी है इसलिए पूर्व-सहायिका सुमरबती अंगारे को ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त कर दिया जाए ताकि केंद्र का विधिवत संचालन हो सके। पूर्व-सहायिका द्वारा भी इस संदर्भ में आवेदन दिया गया है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरपंच लिखकर दे दें तो सुमरबती की नियुक्ति हो सकती है, लेकिन सरपंच ऐसा नहीं कर रहे।''*

आँगनबाड़ी के स्तर पर अनियमितताएँ तो हैं ही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति भी तकरीबन ऐसी ही है। इन केन्द्रों

में सुविधाओं का अभाव है, यहाँ तक कि जितना स्टाफ वहाँ नियुक्त होना चाहिए वह भी नहीं है। पहले एक नज़र पातालकोट क्षेत्र में मौजूद स्वास्थ्य केंद्रों पर डाल लेते हैं -

तालिका-5: पातालकोट क्षेत्र में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उप स्वास्थ्य केंद्र

क्र.	स्थापित केंद्र	ग्राम
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गैलडुब्बा	गैलडुब्बा
2	उप स्वास्थ्य केंद्र हर्राकछार	हर्राकछार
3	उप स्वास्थ्य केंद्र गैलडुब्बा	गैलडुब्बा
4	उप स्वास्थ्य केंद्र घटलिंगा	घटलिंगा
5	उप स्वास्थ्य केंद्र रातेड़	सिंधौली में संचालित

उक्त सूची से स्पष्ट है हर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। कारेआम पंचायत में दो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक गैलडुब्बा में और दूसरा सिंधौली में संचालित। लेकिन इन उपस्वास्थ्य केंद्रों के संचालन और सुविधाओं की बानगी एक उदाहरण से समझी जा सकती है।

उप स्वास्थ्य केंद्र गैलडुब्बा; दवा है, चिकित्सक नहीं

वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का पातालकोट में दौरा हुआ था, उसी समय उनका गैलडुब्बा गाँव में भी आगमन हुआ था। तब मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गैलडुब्बा में नवीन आदिवासी कन्या आश्रम और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोनों का ही शिलान्यास किया गया था। ग्रामीण बताते हैं कि दोनों ही भवन सात साल बाद वर्ष 2014 में बनकर तैयार हुए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बनावट देखकर किसी को एकबारगी ज़िला चिकित्सालय की इमारत होने का भ्रम हो सकता है और यह अचंभा भी कि लगभग 2000 की आबादी वाली पंचायत में आधुनिकतम सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनायी गयी है अस्पताल की

यह इमारत। पर असल हैरत की बात यह है कि 2014 से बस यह इमारत है और मौजूद हैं बुखार, सिरदर्द, सर्दी-खाँसी, उल्टी-दस्त की दवाइयाँ जो नियमित रूप से यहाँ पहुँचती रहती हैं। चिकित्सक कौन है, कोई है भी या नहीं, ग्रामीणों को आज तक नहीं पता। उनके लिए इस इमारत में चिकित्सक की भूमिका कोई निभाता है तो वह हैं इमारत की देखरेख के लिए नियुक्त चौकीदार ध्यानसाह भारती। ध्यानसाह भारती ग्राम घाना कौड़िया के निवासी हैं और दसवीं पास हैं। वह सुबह 8:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक स्वास्थ्य केन्द्र पर रहते हैं और इस दौरान बुखार, पेटदर्द, सर्दी-सिरदर्द आदि की दवा लेने आए मरीज़ों को दवा देते हैं। उल्टी-दस्त के मरीज़ों को वे इंजेक्शन भी लगा देते हैं और ज़रूरत पड़े तो ग्लूकोज़ भी चढ़ा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो 108 पर फोन लगाकर उसे तामिया अस्पताल भी पहुँचा देते हैं। ध्यानसाह भारती बताते हैं कि इससे पहले वे छिन्दी अस्पताल में चौकीदार थे और वहाँ भी मरीज़ों को दवाई देते थे। गैलडुब्बा स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की नियुक्ति के बारे जानकारी लेने का प्रयास किया तो पता चला कि वहाँ डॉ. अशोक सिंह चिकित्सक के पद पर नियुक्त हैं लेकिन वह माह में एक-दो बार ही आते हैं।

उप स्वास्थ्य केंद्र गैलडुब्बा का भवन और चौकीदार ध्यानसाह भारती

कारेआम ग्राम पंचायत का ही दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र रातेड़, सिंधौली में स्थित है, लेकिन इसकी तुलना में कारेआम, रातेड़ व चिमटीपुर

के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिन्दी नज़दीक पड़ता है, इसलिए वे वहाँ जाते हैं। हालाँकि इस केंद्र के अंतर्गत पातालकोट का कोई गाँव नहीं आता, लेकिन छिन्दी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति चिंताजनक है। इस स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ एएनएम श्रीमती रामप्यारी उइके बताती हैं -

रामप्यारी उइके
ए.एन.एम.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिंदी

''वर्तमान स्टाफ में यहाँ दो एएनएम, एक फार्मासिस्ट और एक सफाई कर्मचारी हैं। मैं यहाँ अस्पताल में रहती हूँ और दूसरी एएनम की फील्ड ड्यूटी रहती हैं। मुझे इस स्वास्थ्य केंद्र में 6 साल हो गए हैं। यहाँ कोई चिकित्सक नियुक्त नहीं है। पहले एक कंपाउंडर थे, वो रिटायर हो गए। उसके बाद तीन साल पहले फार्मासिस्ट आए हैं। वो भी तामिया रहते हैं और रोज आते-जाते हैं। एक तरह से अस्पताल में बीमारों के इलाज से लेकर रिकॉर्ड मेंटेन करने तक सभी जिम्मेदारियाँ अकेले को ही निभानी पड़ती हैं। अस्पताल में लैण्डलाइन फोन भी नहीं है तो कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल पर ही निर्भर रहना होता है जिसका कभी नेटवर्क मिलता है कभी नहीं। अस्पताल में प्रसव के लिए जो गर्भवती महिलाएँ आती हैं उनके लिए जननी एक्सप्रेस भी तामिया से बुलवानी पड़ती है। स्टाफ की कमी और ख़ासकर चिकित्सक के न होने से काफ़ी परेशानियों का सामनाा करना पड़ता है।''

कुछ ऐसी ही स्थिति घटलिंगा के उप स्वास्थ्य केंद्र की है, जिसकी वजह से पंचायत के लोगों को घटलिंगा से 17 किलोमीटर दूर स्थित देलाखारी उप स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। घटलिंगा, गुढ़ीछतरी और घाना कौड़िया के ग्रामीणों के अनुसार उप स्वास्थ्य केंद्र घटलिंगा में सिर्फ एक ए.एन.एम. नियुक्त है, जो कि परासिया में रहती हैं इसलिए नियमित रूप

से अपनी सेवाएँ नहीं देतीं। पंचायत के इन तीनों गाँवों के लोगों के वक्तव्य के अनुसार -

> *''ए.एन.एम. को स्वास्थ्य केंद्र पर रहने के लिए भवन भी दिया गया है लेकिन वह वहाँ नहीं आतीं। इसलिए बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए या तो देलाखारी (17 किमी) या तामिया (30 किमी) जाना पड़ता है। देलाखारी अस्पताल भी समय-समय पर खुलता है और घटलिंगा से सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को गाड़ी चलती है बाकी दिनों में कोई साधन नहीं होता इसलिए कभी-कभी समय पर न पहुँच पाने पर अस्पताल बंद हो जाता है तो मजबूरी में प्रायवेट डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ता है। प्रायवेट में भी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैसा अधिक खर्च होता है। हमारी आय इतनी नहीं है कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करा सकें। इस कारणवश या तो घर पर ही जानकारों से जड़ी-बूटी लेकर इलाज करते हैं या प्रायवेट में भी छोटे-मोटे डॉक्टर से ही इलाज कराते हैं। सरकारी अस्पतालों से समय पर इलाज की सुविधा न मिल पाने के कारण और घर पर ही इलाज के चलते कुछ साल पहले एक-दो लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है।''*

चिकित्साकर्मियों की कमी को चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय सिंह भी स्वीकारते हैं। इस मसले पर उनका कहना है कि *''स्वाभाविक है कि पर्याप्त स्टाफ न होने से स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने में दिक्कत आती है, लेकिन क्या करें मजबूरी है। हम कोशिश करते हैं कि जितना स्टाफ है वो जितनी अधिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर सके, करे।''*

बहरहाल यह तो वह समस्याएँ हैं जिनका निदान स्वास्थ्य विभाग के पास है, लेकिन इसके इतर भी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करने में कुछ और भी चीजें बाधक हैं। हमने इन सभी 12 गाँवों में पूछा कि यदि कोई

गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो क्या करते हैं? जवाब एक ही मिला – 'खटोला (खाट) पर रखकर या पीठ पर लादकर वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ से कुछ साधन का इंतजाम हो सके, या अस्पताल से एंबुलेंस आ सके।' यह जवाब उन्हीं स्थितियों का बयान था जो अपनी पहली यात्रा के दौरान रातेड़ व्यू प्वाइंट पर जड़ी-बूटियाँ बेचने के लिए बैठे कलीराम भारिया ने हमें बताई थीं। यानी कुछ गाँवों में प्राथमिक उपचार आंगनबाड़ी से उपलब्ध हो जाता है पर यह भी कभी-कभार की ही बात होती है। बाकी तो लोग अपनी जानकारी से या गाँव के ही किसी जानकार की सलाह से जड़ी-बूटी से प्राथमिक उपचार करते हैं। रोग बढ़े तो लादकर अस्पताल ले जाते हैं।

हमारे सर्वेक्षण से भी यह निकलकर सामने आया और स्वास्थ्य केंद्रों से भी इस बात की तसदीक हुई कि भारिया समुदाय के लोग बार-बार जिन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं उनमें मुख्य रूप से त्वचा संबंधी रोग, पेट की तकलीफ़ें और बुखार (मलेरिया) प्रमुख हैं, जिसकी वजह है- पानी। पातालकोट के किसी भी गाँव में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कुछ गाँवों शासकीय हैण्डपंप लगे हुए हैं किंतु उनसे वर्ष भर पानी उपलब्ध नहीं होता। दूसरी ओर कई गांवों में वर्ष के अधिकांश महीने खुले हुए कुँओं के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी सफाई का न ही ग्राम पंचायतों द्वारा और न ही किसी अन्य विभाग की द्वारा कभी विचार किया गया है। नतीजतन इनमें गंदगी का आलम इतना भयावह है कि जिन्हें फिल्टर्ड पानी पीने की आदत है उन्हें शायद पानी की रंगत देखकर ही उबकाई आ जाए। लेकिन भारिया इसी पानी को न केवल रोज़मर्रा के कई कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर पीते भी हैं। सेहरा-पचगोल की बालक आश्रम शाला के सारे बच्चे ऐसे ही एक कुँए के पानी से नहाते हैं, उससे बना खाना खाते हैं और प्यास बुझाने के लिए पीते भी हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव इतना गंभीर है कि इलाज के अभाव में बच्चों की मृत्यु, गर्भवती महिलाओं को होने वाली परेशानी के कई मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अन्त्योदय

उपचार योजना आदि से मिलने वाली सुविधाओं में भी कोताही के उदाहरण मौजूद हैं। जैसे -

जननी सुरक्षा योजना में हितग्राही से पैसे लेना

ग्राम सेहरा की निवासी श्रीमति सुमरबती अंगारे पत्नि हरिलाल अंगारे ने बताया कि डिलिवरी के समय फोन करने पर भी उन्हें जननी एक्सप्रेस का लाभ नहीं मिला। जिसके कारण उनके पति ने किराये की गाड़ी से तामिया ले जाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें 200 रुपये लगे। अस्पताल में उनकी नॉर्मल डिलिवरी हुई। डिलिवरी से पहले अस्पताल में सोनोग्राफी हुई जिसके लिए जाँच के 100 रुपये लिये गए और 100 रुपये नर्स ने लिए। डिलिवरी के समय दवाई पर 1000 रुपये भी अस्पताल में खर्च हुए। इस तरह कुल 1400 रुपये ख़र्च हुए। यह पूछने पर कि क्या डिलिवरी के बाद उन्हें अस्पताल से या आशा कार्यकर्ता के द्वारा कोई पैसा मिला? सुमरबती ने बड़ी सी 'ना' में इसका जवाब दिया।

जल, जंगल, ज़मीन

वनोपज और जीवन

भारिया जनजाति के जीवन की आधारशिला है वन और वनोपज। उनके सांस्कृतिक जीवन में तो वन और भूमि का बड़ा महत्व है ही, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में भी वन कम महत्वपूर्ण नहीं है। वन के साथ उनका रिश्ता भाईचारे का है, सहजीवन का है। वन उनकी ज़रूरतें पूरी करता है और वे वन को सहेजते हैं। वन किस तरह भारिया जनजाति के जीवन का अहम हिस्सा है, इसका आभास पातालकोट की पहली यात्रा के दौरान ही हमें हो गया था जब हमारी मुलाक़ात पार्वती और गौरारानी नाम की दो बच्चियों से हुई।

जब हम पार्वती और गौरारानी से बात कर रहे थे तब वे एक पेड़ पर चढ़कर उसकी मुलायम हरी पत्तियाँ चुन रहीं थीं, जिनसे बहुत ही मोहक सुगंध उठ रही थी। जब इसके बारे में पूछा तो बताया गया कि यह कोयलार की भाजी है, जिसे वे रात में पकाकर खाएंगे। फिर जब हमने कहा कि तोड़ी गई भाजी वे हमे दे दें और बदले में दोनों कुछ पैसे ले लें, तो दोनों का एक ही जवाब था - 'ना'। हमने थोड़ी-सी भाजी की कीमत बढ़ाते-बढ़ाते 100 रुपये तक कर दी लेकिन दोनों का जवाब 'ना' में ही रहा। इसकी वजह यह नहीं थी कि उन्हें पैसे की अहमियत नहीं मालूम थी, बल्कि शायद यह थी कि उस दिन उनके घर में तरकारी की जगह लेने के लिए वही एकमात्र विकल्प था। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गाँव में दो अन्य बच्चे, जो भोजन करते हुए मिले थे, उनमें से एक के पास महज रोटी थी और दूसरा सूखी चने की भाजी में पानी और नमक डालकर उसके साथ रोटी का निवाला निगल रहा था।

कोयलार के पेड़ पर चढ़कर उसकी पत्तियाँ चुनतीं पार्वती और गौरारानी

वनोपज से प्राप्त विभिन्न कंद, फल-फूल न केवल भारियाओं के भोजन की ज़रूरत को पूरा करते हैं, बल्कि वे उनकी आय का भी प्रमुख स्रोत है। भारिया समुदाय के लोग आंवला, अचार, महुआ, हर्रा, बहेरा, तेंदू आदि वनोपज का संग्रहण करते हैं, जिसका कुछ हिस्सा वे बारिश के मौसम में जब आवागमन दुष्कर होता है तब के लिए भोजन के रूप में बचाकर रखते हैं और अन्य हिस्से को आवश्यकतानुसार नज़दीकी बाज़ार में बेचकर ज़रूरत का सामान ख़रीदते हैं या पैसे लाते हैं।

चूँकि भारिया समुदाय के लोगों की जीवन-शैली न्यूनतम संसाधनों में गुज़र करने और सादा जीवन वाली है, इसलिए यह वनोपज का संग्रह भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिहाज़ से ही करते हैं। वनों के अतिशय दोहन को वे ठीक नहीं मानते। उनका मानना है कि यदि वे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जंगल से लेंगे तो अपना ही नुक़सान करेंगे, आगे चलकर जंगल उन्हें उनकी ज़रूरत जितना भी नहीं देगा। जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने या घर के छप्पर के लिए वे सूख चुके पेड़ों को ही चुनते हैं। विभिन्न वृक्षों से अपनी उत्पत्ति मानने वाले भारिया हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना पाप मानते हैं।

वनोपज (अचार) के साथ एक ग्रामीण

सामान्य दिनों में भारिया समुदाय के वयस्क दिन के कम से कम छः ये आठ घण्टे जंगल में वनोपज एकत्र करने में बिताते हैं। पर्याप्त मात्रा में वनोपज एकत्र करने के साथ-साथ ही उसकी सफाई करने, सुखाने का कार्य भी चलता रहता है। हालाँकि यह कार्य वर्ष-भर चलने वाला नहीं है। वर्ष के केवल चार महीनों मार्च से जून तक ही वे वनोपज एकत्रित करते हैं। कुछ लोग जो मज़दूरी के लिए बाहर नहीं जाते वे अक्टूबर-नवंबर के महीने में भी वनोपज एकत्रित करने का काम करते हैं।

वनोपज से आय के प्रमुख स्रोतों में महुआ, अचार, आँवला, बहेरा हैं। हालांकि पूरे पातालकोट क्षेत्र में इन वृक्षों की मौजूदगी समान रूप से नहीं है, कहीं अचार के पेड़ अधिक हैं तो कहीं आँवला के लेकिन हमारे अध्ययन से निकलकर आई जानकारी के मुताबिक लगभग 80 प्रतिशत भारिया वनोपज एकत्रित करते हैं और हर भारिया परिवार एक वर्ष में औसतन एक क्विंटल आँवला 30 किलो अचार और लगभग 50 किलो महुआ एकत्रित करता है। एकत्रित अचार का महज़ 10 प्रतिशत ही वे घरेलू उपयोग में लाते हैं, बाकी बाज़ार में बेच दिया जाता है जबकि महुआ और आँवला का 50 प्रतिशत हिस्सा ही बाज़ार में बेचा जाता है।

पातालकोट जड़ी-बूटियों के लिए भी विख्यात है। विभिन्न दुर्लभ किस्म की जड़ी-बूटियाँ यहाँ उत्पन्न होती हैं। यह जड़ी-बूटियाँ भी भारिया समुदाय के लोगों के लिए व्यावसायिक वनोपज हैं, लेकिन एक तो सभी को जड़ी-बूटियों की पहचान नहीं है कुछेक परिवार ही पारंपरिक रूप से इसका ज्ञान रखते हैं, दूसरे पातालकोल के भी सभी क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों की सघन उपलब्धता नहीं है। इसलिए कारेआम पंचायत के बमुश्किल 20

लोग ही जड़ी-बूटी का व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं।

हालाँकि वनोपज को लेकर अब भारिया समुदाय के बीच चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि साल-दर-साल वनोपज की मात्रा कम होती जा रही है। एक सवाल कि वनोपज के महत्व से कौन-कौन से पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, और क्यो? के जवाब में ग्रामीणों ने जो बताया उसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में भी समझा जा सकता है। ग्रामीणों के अनुसार -

> *''हर्रा, बहेरा, आँवला, महुआ जैसे पेडों की संख्या कम होती जा रही है। इसकी दो वजहें हैं। एक तो बारिश के मौसम और तीवृता में बदलाव है। पहले बारिश धीमी और लंबी चलती थी जिससे जमीन में पानी की पूर्ति पर्याप्त हो जाती थी लेकिन अब एक तो बारिश कम हो गई है और होती भी है तो तेज होती है जिसकी वजह से पानी पहाड़ों से तेजी से नीचे बह जाता है। जो पेड़ तलहटी में या समतल-सी जगह पर हैं वहाँ ठीक है लेकिन ढलानों पर मौजूद पेड़ या तो बारिश से गिर जा रहे हैं या फिर सूख जा रहे हैं। दूसरी वजह है कि अब गर्मी पहले से ज्यादा पड़ने लगी है, जिसकी वजह से पेड़ों पर 'गादो' जैसे कई रोग लग गए हैं, जिनसे पेड़ सूख जाते हैं। जितने नए पेड़ एक साल में फलते नहीं हैं उससे ज़्यादा पेड़ सूख जा रहे हैं। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा।''*

वनों के इस तरह ह्रास से भारिया न केवल चिंतित हैं बल्कि दुःखी भी हैं। कुछ बुजुर्गों ने वनों के इस ह्रास पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की लेकिन उसका सार एक ही था- *''पेड़ नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे!''*

वन और वनोपज से भारिया समुदाय का संबंध सिर्फ़ उपभोग व व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए वनोपज प्राप्त करने का ही नहीं है। वन और भारिया समुदाय के बारे में संक्षिप्त में अगर कुछ कहा जा सकता है तो वह वन विभाग के छिन्दी परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर अहिल्सा उइके की टिप्पणी दोहराई जा सकती है। उनका कहना है -

अहिल्सा उइके
डिप्टी रेंजर
वन विभाग छिन्द्री परिक्षेत्र

''छिन्दी वन परिक्षेत्र 4787.74 हैक्टेयर में फैला है और पातालकोट क्षेत्र के जितने हिस्से में भारिया हैं वे उसे अपना ही हिस्सा मानते हैं। जंगल को कैसे रखना चाहिए ये हमें भारिया लोगों से सीखना चाहिए। असल में वे ही इसकी देख-रेख करते हैं, हम तो बस उनकी मदद करते हैं। वे जितना जंगल से लेते हैं उतना ही उसे देते भी हैं। हमें कभी यह शिकायत नहीं मिली कि किसी भारिया ने जंगल का अनावश्यक दोहन किया हो। वे नए पेड़ लगाने में हमने अधिक उत्साहित रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। पेड़ लगाने के बाद हमें शायद निरीक्षण में देरी हो जाए पर वे पूरी निगरानी रखते हैं। जड़ी-बूटी वाले पौधे हम तो पहचानते नहीं, वे पहचानते हैं। अगर वे जंगल से जड़ी-बूटियाँ लेते हैं तो यह भी बराबर ध्यान रखते हैं कि वे पेड़-पौधे कम न हों।''

इस तारीफ़ के साथ ही अहिल्सा उइके उन मुश्किलों की भी तसदीक करते हैं जो भारिया समुदाय के लोग खुद भी महसूस करते और बताते हैं। अहिल्सा उइके कहते हैं-

''अब हालात पहले से मुश्किल होते जा रहे हैं। मौसमों के समय में बदलाव, बारिश की तीवृता और आवृति में बदलाव, बढ़ती गर्मी जैसी कई स्थितियाँ जंगलों में भी बदलाव ला रही हैं। वृक्षों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वनोपज कम हो रही है, जिसका प्रभाव भारियाओं की आय के स्रोतों में कमी के साथ-साथ रोज़मर्रा के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज से 5-7 वर्ष पहले वनोपज में उनके भोजन की जितनी उपलब्धता थी, अब नहीं है। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में रोज़गार के लिए मौसमी पलायन में वृद्धि हुई है।''

कृषिभूमि, फ़सलें और चुनौतियाँ

मक्का सुखाने के लिए बनाया गया मचान

भारिया जनजाति के लोग भूमि को माता मानते हैं और पुराने समय से ही उस पर हल चलाकर धरती की छाती चीरने के पक्ष में नहीं रहे हैं। पारंपरिक रूप से वे खुरपी की सहायता से की जाने वाली खेती करते रहे हैं। वैबर खेती का यहाँ प्रचलन रहा है। हालांकि बीते चार-पाँच दशकों में यह परंपराएँ टूटती गई हैं। वर्तमान में यह लोग मुख्यतः मक्का, कोदो, कुटकी, बल्हर, अरहर आदि ख़रीफ़ फसलों की खेती करते हैं। कुछ गाँवों जैसे गैलडुब्बा, घटलिंगा, गुढीछतरी, कारेआम में, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, कुछ ग्रामीण गेहूँ जैसी रबी की फ़सल भी उपजाते हैं।

कृषि भूमि के स्वामित्व के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि अधिकांश भारिया परिवारों के पास एक एकड़ से भी कम जमीन है।

तालिका-6: कृषिभूमि की उपलब्धता के अनुसार परिवारों का प्रतिशत

क्र.	कृषिभूमि की उपलब्धता	परिवारों का प्रतिशत (लगभग)
1	भूमिहीन	0
2	एक एकड़ या उससे कम	83
3	एक एकड़ से अधिक दो एकड़ से कम	11
4	दो एकड़ से अधिक	6

उक्त सूची से स्पष्ट है कि हमारे सर्वेक्षण में कोई भी भूमिहीन भारिया परिवार निकलकर नहीं आया है और सर्वाधिक प्रतिशत एक एकड़ या उससे कम भूमि स्वामित्व वाले परिवारों का है – 83 प्रतिशत। इस 8३ प्रतिशत में से भी तकरीबन 42 प्रतिशत के पास आधे एकड़ से कम कृषि भूमि है।

कम कृषि भूमि के साथ ही पहाड़ी इलाकों में सिंचाई के लिए पानी की अनुपलब्धता और ज़मीन का पर्याप्त उपजाऊ होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए वर्षा आधारित कृषि से होने वाली उपज इतनी ही होती है जिससे कुछ महीनों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। इसलिए वर्ष भर के भोजन के लिए पीडीएस के साथ ही बाज़ार पर भी निर्भरता होती है।

वैसे तो भारिया समुदाय के लोग खेती में पारंपरिक रूप से गोबर खाद का इस्तेमाल करते रहे हैं लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार कारेआम, रातेड़ गैलडुब्बा, घटलिंगा, गुढ़ीछतरी गाँव के लोगों ने खेती में कुछ साल रासायनिक खाद का भी उपयोग किया और उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। प्राप्त जवाबों के अनुसार –

> *''रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से पैदावार तो बढ़ी लेकिन अनाज का स्वाद बदल गया। दूसरे, रासायनिक खाद महँगी होती गई तो जब दो-चार साल इसके इस्तेमाल के बाद नहीं डाली तो फसल कम हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।''*

अब स्थिति यह है कि ख़रीफ़ की फ़सलों में किसी भी गाँव में रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कृषि विभाग से प्राप्त होने वाली जैविक खाद का प्रयोक किया जाता है। हालाँकि रबी की फसलों में घटलिंगा में अभी भी रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है। वजह यह है कि यहाँ अन्य गाँवों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ी जोत के किसान हैं और सिंचाई के लिए भी अन्य गाँवों की तुलना में उचित व्यवस्था है।

वैसे तो कृषि विभाग द्वारा पातालकोट के गाँवों में उन्नत बीज, खाद और कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं लेकिन उन्नत खेती

के लिए मिली इस मदद से इन ग्रामवासियों को जो फायदा हुआ है उससे इतर कुछ मुश्किलें भी बढ़ी हैं और कहीं हास्यास्पद स्थितियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण के लिए कारेआम, गैलडुब्बा, घटलिंगा में कृषि विभाग की मदद से मिले पाइपों के कारण सिंचाई सुविधाजनक हो गई है। पहले जहाँ बारिश पर ही निर्भर रहना होता था अब नजदीकी जलस्रोत (पातालकोट में कुछ स्थानों पर पहाड़ी पानी को रोकने के लिए छोटे डैम हैं) से पानी मिल जाता है। लेकिन वहीं सौपटिया गाँव के किसानों को मिली मिनी थ्रेशर ज़ंग खा रही है, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँव तक पैदल जाने के लिए ही जब पगडंडी नहीं है, पेड़ों की इतनी सघनता है कि उनकी वजह से आज तक बिजली नहीं पहुँच सकी, तो थ्रेशर भला उस गाँव तक कैसे पहुँच सकेगी।

घटलिंगा पंचायत के ग्रामीणों के अनुसार पहले जो किसान अपनी सुविधा और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप खेती करते थे अब वे किसान कृषि ऋण के चलते कर्जदार हो गए हैं। पारंपरिक बीज छोड़कर कृषि विभाग के बीज बोने के चलते एक तो खर्चा ज्यादा बढ़ गया दूसरे उपज भी कमजोर होती गई। दूसरी ओर वे यह भी महसूस करते हैं कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल ने उनकी ज़मीन का मिजाज़ बिगाड़ दिया है। पहले जब वे अपने पारंपरिक ढंग से पारंपरिक फसलों की खेती करते थे तब जमीन की उपजाऊ क्षमता अधिक थी। पहाड़ की पथरीली और ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर कृषि उपकरण भी अधिक कारगर साबित नहीं होते।

पानी की उपलब्धता भी इन सभी गाँवों के लिए गंभीर है। गर्मी के मौसम में कुँए और हैण्डपंप सूख चुके होते हैं और कई बार तो नज़दीकी पहाड़ी झरने भी पानी की आपूर्ति नहीं कर पाते। ऐसे में कई किलोमीटर दूर से पानी लाना होता है। ऐसे में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति एक गंभीर समस्या है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वी.के. ढोके कहते हैं-

''हम योजनाओं के मुताबिक काम करते हैं। जब जैसी योजना और नियम आते हैं हमें उनके मुताबिक ही काम करना होता है। जैसे

वी. के. ढोके
वरिष्ठ कृषि विकास
अधिकारी, तामिया

इस समय हमारा काम है किसानों को उन्नत बीज और जैविक खाद के बारे में जानकारी देना और उनके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन मेरा विचार है कि हरेक बीज हर जगह के अनुकूल नहीं है। पातालकोट में कुटकी, कोदो हो सकते हैं, धान की कुछ और किस्में में भी, लेकिन हर प्रकार का धान यहाँ उपजाया जा सकता है यह संभव नहीं है। जब पीने के पानी की ही इतनी मुश्किल है तो पातालकोट में ऐसी फसलों को उपजाने की उम्मीद करना, जिनके लिए पानी की आवश्यकता है, कितना उचित होगा! बेहतर तो यह होगा कि ये लोग अपने पारंपरिक बीजों से किस तरह और अधिक उपज प्राप्त कर सकें इस पर गंभीरता से कार्य किया जाए। नयी फ़सलों के लिए ज़मीन को तैयार होने में समय लगता है, जिसके लिए भारिया मेहनत भी कर रहे हैं। पर जिस तरह से आजकल मौसम के मिजाज़ का कुछ पता नहीं चलता उसके चलते पहाड़ी इलाकों में खेती के लिए मुश्किलें तो हैं।"

पहाड़-सा पानी

पानी की उपलब्धता और स्वच्छता के नज़रिये से देखें तो पातालकोट की स्थिति चिंताजनक है। भारिया समुदाय के किसी भी घर में निजी पेयजल स्रोत नहीं है। तकरीबन हर गाँव और ढाने में कम से कम एक सार्वजनिक कुँआ है। कर्रापानी, गैलडुब्बा, घटलिंगा जैसे कुछ गाँवों में सरकारी हैण्डपंप भी हैं, लेकिन साफ पानी की अगर बात करें तो कहीं नहीं है। उदाहरण के लिए नवीन आदिवासी आश्रम सेहरा पचगोल में रहने वाले बच्चे जिस कुँए का पानी

सेहरा पचगोल स्थित कुँआ

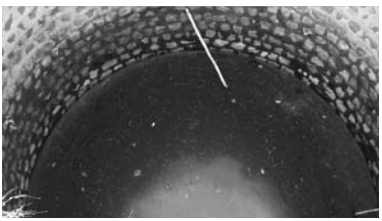

पीने व अन्य ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी रंगत देखकर ही साफ-सुथरे शहरी इलाके में रहने वाले किसी व्यक्ति को उबकाई आ सकती है। कुछ ऐसी ही हालत कर्रापानी व अन्य गाँवों के कुँओं की है।

पातालकोट में छोटी-छोटी पहाड़ी नदियाँ भी हैं, जिनकी मौजूदगी का पता बारिश के मौसम में ही चलता है। एक तरह से उन्हें पहाड़ी नाला कहा जा सकता है जिनसे बारिश का पानी बहकर जाता है। इन नदियों पर पानी रोकने के लिए मनरेगा के अंतर्गत छोटे-छोटे बांध भी बनाए गए, लेकिन एक तो कच्चे बाँध बनाए गए जिसके कारण उनके अस्तित्व की अवधि बहुत कम रही, दूसरे इतना पानी नहीं रोका जा सका कि वे इस जल संकट से उबार सकें। ठीक इसी तरह हर्राकछार में तालाब का निर्माण किया गया, लेकिन वह फूट गया जिसके कारण उसमें पानी का पर्याप्त संग्रहण नहीं हो पाता। इन बरसाती नदियों के अलावा पातालकोट की सबसे लंबी नदी है - दूधी। यह नदी एक तरह से पातालकोट को सर्पिलाकार में दो हिस्सों में बाँटती हुई बहती है, लेकिन एक तो यह बहुत गहराई में है और दूसरे जल के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की तुलना में इन गाँवों से अधिक दूरी पर है। नतीजतन यह नदी भी इन गाँवों के जल संकट का समाधान नहीं बन पाती।

इन कुँओं और हैण्डपंपों की मौजूदगी के बावजूद पातालकोट में पूरे वर्ष पीने का पानी भी सहूलियत से उपलब्ध नहीं होता। गर्मी के मौसम, ख़ासकर मई-जून के महीने में इनमें से कई कुँए सूख जाते हैं और हैण्डपंप से भी पानी नहीं निकलता। नतीजतन लोगों को पीने व अन्य ज़रूरतों के लिए पहाड़ी झिरों से एकत्र हुआ या नज़दीकी नदी/झरनों से पानी लाना होता है, जिसके लिए बस्ती से न्यूनतम 1 किमी से लेकर 5-6 किमी तक की दूरी तय करनी पड़ती है।

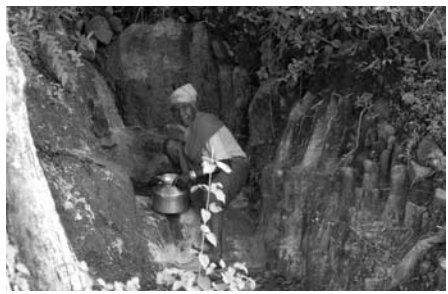

बूँद-बूँद टपकती पहाड़ी झिर से पानी एकत्र करती बुजुर्ग भारिया महिला

रोज़गार के विकल्प और पलायन

रातेड़ व्यू प्वाइंट पर जड़ी-बूटियाँ बेचते राजेश भारती

जैसा कि पहले ज़िक्र किया गया कि पातालकोट जड़ी-बूटियों के लिए भी विख्यात है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में काम आने वाली विभिन्न औषधियाँ यहाँ प्रचुर मात्रा में होती है। यूँ तो पातालकोट और आसपास के क्षेत्र में भारिया जनजाति के अलावा अन्य समुदाय भी रहते हैं लेकिन वहाँ पाई जाने वाली इन औषधियों की पहचान और ज्ञान सिर्फ भारिया जनजाति के लोगों को ही है और यही ज्ञान इस समुदाय के कुछ लोगों को रोज़गार भी मुहैया कराता है।

छिंदवाड़ा की पंजीकृत संस्था 'आयुर्वेद सेवा समिति' ने भारिया समुदाय के कुछ लोगों को आजीवन सदस्यता और पहचान-पत्र मुहैया कराए हैं, जो उन्हें आयुर्वेद द्वारा बीमारियों का इलाज करने की वैधता प्रदान करते हैं। हालाँकि पहचान-पत्र में संस्था के किसी शासकीय विभाग से

संबद्ध होने का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इस पहचान-पत्र के बिना भी जड़ी-बूटियों के पारंपरिक ज्ञान की वजह से भारिया समुदाय को आय का स्रोत मुहैया है। देश के दूर-दराज के क्षेत्रों से न केवल मरीज़ बल्कि वैद्य भी यहाँ जड़ी-बूटियाँ लेने आते हैं। हालांकि यह रोज़ की स्थिति नहीं होती। मोटे तौर पर पातालकोट घूमने आने वाले सैलानी ही इनके ग्राहक होते हैं। जड़ी-बूटियाँ बेचकर होने वाली मासिक आय 3000 के आसपास होती है। जड़ी-बूटियों की अपनी दुकान सजाए बैठे राजेश भारती बताते हैं-

आयुर्वेद सेवा समिति द्वारा प्रदान परिचय-पत्र

''पातालकोट घूमने आने वाले लोग रातेड़ व्यू प्वाइंट ज़रूर आते हैं, इसलिए हम लोग यहीं आकर बैठते हैं। सप्ताह के और दिनों की तुलना रविवार को ज़्यादा लोग आते हैं या फिर पर्व-त्यौहारों वाले दिनों में। और दिनों में ज़्यादा लोग भी नहीं आते, दवाइयाँ भी कम बिकती हैं इसलिए हम भी रोज़ नहीं आते, हाँ रविवार को ज़रूर आते हैं। छुट्टी वाले दिनों में छिन्दवाड़ा से बाहर के भी लोग आते हैं। भोपाल, इन्दौर, दिल्ली के कुछ लोग हमारे पक्के ग्राहक हैं। कोई तीन-चार महीने में एक बार आता है, कोई पाँच-छः महीने में और इकट्ठी दवाइयाँ ले जाते हैं। कुछ लोग पहले ख़बर कर देते हैं कि उन्हें क्या और कितनी दवाई चाहिए, वो हम तैयार रखते हैं। ऐसे मौकों पर थोड़ी एकमुश्त कमाई हो जाती है। वैसे महीने में थोड़ा-थोड़ा करके चौबीस-पच्चीस सौ रुपये ही हो पाता है।

बरसात के दिनों में काम कम रहता है। जो दवाइयाँ पहले से निकाली होती हैं उनसे ही काम चलाते हैं, बरसात में जंगल से दवाइयाँ भी नहीं लाते और यहाँ भी बहुत कम आते हैं। वैसे भी

जंगल से दवाई लगातार नहीं निकालते। उसे भी तो तैयार होने में समय लगता है, इसलिए साल के 7 से 8 महीने ही यह काम हो पाता है।"

राजेश बताते हैं कि वे पिछले 12 साल से यहाँ जड़ी-बूटी बेच रहे हैं। उन्होंने अपने पिता से इनका ज्ञान प्राप्त किया है। राजेश के पहले उनके पिता व्यू प्वाइंट पर आकर जड़ी-बूटी बेचा करते थे।

जड़ी-बूटियों की बिक्री के अतिरिक्त रोजगार का अन्य कोई विकल्प बचता है तो वह है शारीरिक श्रम। लेकिन इसके लिए भी हर तरह का काम करना इन लोगों को पसंद नहीं है। जैसे ये लोग नज़दीकी बाज़ार या शहर में जाकर हम्माली, रिक्शा या हाथठेला खींचना आदि काम करना पसंद नहीं करते। इसके बरअक्स मनरेगा के तहत काम करना इन्हें उचित लगता है। हालांकि इसके लिए भी इन्हें रोज़गार प्राप्ति से अधिक यह बात प्रोत्साहित करती है कि इससे इनके गाँव में सुविधाओं की वृद्धि होगी। मनरेगा में काम करने के अलावा यह लोग कृषि मज़दूरी करते हैं, जिसके लिए यह नज़दीकी जिलों पिपरिया, होशंगाबाद, रायसेन, जबलपुर की ओर साल में कम से कम दो बार फसलों की कटाई के मौसम में अस्थायी पलायन करते हैं।

ग्राम पंचायत घटलिंगा में मनरेगा मज़दूरों से बातचीक करते हुए अध्ययन दल की साथी

पातालकोट के अलग-अलग गाँवों में मनरेगा में काम करने वालों से जो जानकारी हासिल हुई वह यह कि किसी को भी ठीक-ठीक नहीं मालूम कि उसे मज़दूरी किस दर से मिली। सभी ने अलग-अलग दर बताई जो 120 रुपये से 157 रुपये के बीच रही। यह बात गौरतलब है कि किसी ने भी राज्य की निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी दर मिलने का उल्लेख नहीं किया। अधिकांश लोगों के जॉब कार्ड भी उनके पास न होकर सरपंच या काम की देखरेख कर रहे व्यक्ति के पास होना पाया गया। कारेआम पंचायत में तकरीबन सभी को यह शिकायत रही कि मजदूरी का भुगतान उन्हें काफी विलंब से हुआ और कुछ गाँवों में लोगों ने यह भी बताया कि छिन्दी पोस्ट ऑफिस में खाते से पैसा निकालने के लिए पोस्ट मास्टर को कमीशन देना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल घटलिंगा पंचायत का भी पाया गया और देलाखारी स्थित सहकारी बैंक की भी ऐसी ही शिकायतें सामने आईं। मनरेगा में काम करने वालों ने यह भी बताया कि उन्हें कृषि मजदूरी मनरेगा की मजदूरी से अधिक मिलती है इसलिए वे फ़सलों की कटाई के वक्त मनरेगा में काम नहीं करते।

मार्च-अप्रैल और सितम्बर-अक्टूबर वर्ष के ऐसे चार महीने होते हैं जब पातालकोट के अधिकांश गाँवों में या तो बुजुर्ग बचते हैं या फिर बच्चे। इन महीनों में यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा नज़दीकी जिलों में फसलों की कटाई के लिए जाता है, जहाँ इन्हें 200 या कुछ जगहों पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मज़दूरी मिलती है। अमूमन इनके कृषि मज़दूरी के ठिकाने भी निश्चित होते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति - जिसे वे पटेल कहते हैं - इनके रहने की जगह का इंतज़ाम करता है। पटेल ही इन्हें बताता है कि उसे कितने लोगों की ज़रूरत है। रहने के अतिरिक्त अन्य सारे ख़र्चे इनके ही होते हैं और दिन में 8 घंटे की मज़दूरी के एवज़ में 200 या 250 रुपये मिलते हैं। अतिरिक्त काम होने पर 30 से 40 रुपये प्रतिघंटे के हिसाब से भुगतान होता है।

फसलों की कटाई के लिए गाँव से बाहर जाने वाली झनकिया बाई बताती हैं -

झानकिया बाई, रातेड़

''हम लोग बांसखेड़ा, पिपरिया, होशंगाबाद तरफ कटाई के लिए जाते हैं 20-25 दिन के लिए। गाँव में आकर पटेल बता जाता है कि उसे कितने आदमी चाहिए, और कब पहुँचना है। पटेल गाँव में एक आदमी को निश्चित कर जाता है, वही सब लोगों को इकट्ठा करता है। वहाँ पटेल हमारे लिए रुकने का इंतज़ाम कर देता है बाकी सब इंतज़ाम हमें ही करना पड़ता है इसलिए खाने-पीने के लिए चावल, गेहूँ, तेल-मसाला, ओढ़ना-बिछौना हम यहीं से लेकर जाते हैं। नहाने-धोने के लिए नदी-नाले पर जाते हैं।

वहाँ दिन में आठ घंटे कटाई करते हैं, जिसका रोज़ के 200 रुपये के हिसाब से इकट्ठा पैसा मिलता है। कभी-कभी यहाँ से 10-12 साल के छोटे बच्चे भी हमारे साथ चले जाते हैं। पटेल उनसे काम नहीं करवाता और अगर कभी करवाता है तो उन्हें कम पैसा मिलता है। कटाई के अलावा अगर थ्रेसर पर या उड़ावनी का काम होता है तो जो काम करते हैं उन्हें उसका कभी 30 कभी 40 रुपये घण्टे के हिसाब से अलग पैसा मिलता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए पटेल पैसा दे देता है, और काम के बाद मज़दूरी में से काट लेता है।

कुछ लोग धान रोपाई और ईंट भट्टे पर मज़दूरी के लिए भी जाते हैं और कुछ लोग ईंट-गारे का भी काम करते हैं। बच्चे अक्सर ईंट-गारे का काम करते हैं।''

झनकिया बाई के मुताबिक कटाई के बाद मज़दूरी सही हिसाब से और पूरी मिल जाती है। लेकिन कुछ और लोगों का अनुभव इससे अलग है। ग्राम कर्रापानी के अली, सुखराम, राजकुमार, मुन्नीबाई, रंगलाल, चुनीलाल, गिरजेश, अनंत व सनलाल के अनुसार-

''हमने करनपुर में 25 दिन धान कटाई की। 200 रुपये रोज के हिसाब से कटाई की मज़दूरी तय हुई थी। लेकिन कटाई के बाद

सबको केवल 500-500 रुपये मिले। बाकी रुपयों के लिए पटेल ने कहा कि जब माल बिकेगा तब पैसे पहुँचा देगा, लेकिन आज 5 महीने बाद तक भी पैसे नहीं मिले। पटेल से जब पूछो तब कहता है कि अभी माल नहीं बिका।''

फ़सलों की कटाई के मौसम में मज़दूरी के लिए होने वाले इस अस्थायी पलायन में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, ख़ासकर मार्च-अप्रैल के महीने में अब पहले की तुलना में अधिक लोग पातालकोट से बाहर जाने लगे हैं। वजह शायद यही है कि जून से सितंबर तक के महीनों में गर्मी और बारिश की वजह से वनोपज के संग्रहण में कमी आ जाती है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। मार्च-अप्रैल के महीनों में कृषि मजदूरी करना भारिया समुदाय के लोगों के लिए आगामी चार महीनों का इंतज़ाम करना होता है।

सामाजिक सुरक्षा:
योजनाएँ, जानकारी और पहुँच

सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्र और राज्य सरकार की कई योजनाएँ वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें से कुछ केवल जनजाति समुदाय के लिए हैं। लेकिन यह योजनाएँ पातालकोट तक कितनी पहुँच सकी हैं इसे जानना बेहद ज़रूरी है।

हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आवास, रोज़गार, बीमा, पेंशन, कृषि, छात्रवृत्ति से संबंधित 34 योजनाओं की सूची बनाई और ग्रामीणों से इनके बारे में पूछा कि क्या आपको इनके बारे में जानकारी है? दिलचस्प है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने उन 34 योजनाओं में से 10 के भी नाम सुने हों। जिन योजनाओं का नाम सबसे अधिक लोगों ने सुना था और उनसे लाभान्वित होने के कुछ मामले भी प्रकाश में आए वे थीं- मुख्यमंत्री आवास योजना, जननी सुरक्षा योजना, शौचालय निर्माण।

हालाँकि इन योजनाओं के लाभार्थियों को भी यह पता नहीं है कि सरकार इसके लिए कितने रुपयों की आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। जैसा पंचायत सचिव ने बताया वैसा लोगों ने किया।

कारेआम पंचायत की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती दशरी खमरिया के मुताबिक भूतपूर्व पंचायत सचिव ने कई लोगों के आवास और शौचालय स्वीकृत कराए थे, लेकिन आर्थिक अनियमितताओं के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और उनसे पंचायत के रजिस्टर और कागज़ात हासिल नहीं किए जा सके हैं।

इन योजनाओं के अलावा कुछ लोगों ने दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना,

जन-धन योजना आदि के बारे में जानकारी होने की बात भी कही। वृद्ध ावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन दोनों ही योजनाओं का एक-एक मामला ऐसा भी सामने आया जिसमें हितग्राही का बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता तो है, लेकिन पिछले कई माह से उन्हें पेंशन प्राप्त नहीं हुई है।

ग्राम कर्रापानी के रहने वाले संतोष भारती विकलांग है और विकलांग पेंशन योजना के तहत सिंधौली पोस्ट ऑफिस में उनका खाता भी है, लेकिन उन्हें पेंशन की राशि नियमित रूप से नहीं मिलती। वे बताते हैं-

संतोष भारती, कर्रापानी

''वर्ष 2007 में छिंदवाड़ा में सांसद कमलनाथ जी से विकलांगता पेंशन न मिलने की समस्या पर बात की गई थी। कमलनाथ जी के आदेश के बाद पेंशन मिलना शुरू हो गई थी, जिसके लिए सिंधौली पोस्ट ऑफिस में खाता खुला था। लेकिन पेंशन की राशि समय पर नहीं मिलती, 2-3 महीने की एक साथ मिलती है और पोस्ट ऑफिस द्वारा वह भी पूरी नहीं दी जाती। पोस्ट मास्टर अल्लू ख़ान खाते में से पैसे निकालकर नगद भुगतान करते हैं और पासबुक में एंट्री भी नहीं करते। खाते में जमा राशि के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी जाती एवं भुगतान करने समय पेंशन की राशि का कुछ भाग रख लिया जाता है।''

विकलांग पेंशन में देरी व कम पैसा प्राप्त होने की समस्या सिर्फ संतोष भारती की नहीं है। ग्राम हर्राकछार के निवासी सिपतलाल, सुखदेव और रजनी का विकलांग पेंशन खाता ग्राम लोटिया के पोस्ट ऑफिस में है और इनकी भी यही शिकायत है कि पेंशन की राशि दो-तीन माह में एक बार मिलती है और पोस्ट ऑफिस वाले जानकारी नहीं देते। यह भी नहीं

बताते कि पेंशन की कितनी राशि खाते में आई है, अपनी मर्जी से पैसे निकालकर दे देते हैं।

इसके अलावा हर्राकछार के ही बिसुन घुड़न, श्रीमति कलिया की शिकायत है कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन समय पर नहीं मिलती, और उन्हें बार-बार पोस्ट ऑफिस तक जाने की परेशानी उठानी पड़ती है। उदेशी साहू व नन्हीं बाई को मिलने वाली विधवा पेंशन का भी यही हाल है।

जननी सुरक्षा योजना के बारे में स्वास्थ्य संबंधी विवरण में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि किस प्रकार अस्पताल में विभिन्न जांचों और दवाइयों के लिए उनसे पैसे लिए गए और एंबुलेंस के लिए भी पैसे देने पड़े। दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के तहत उत्तरदाताओं में से सिर्फ़ 5 व्यक्तियों के कार्ड बने हैं लेकिन उनका भी कहना है कि पी.एच. सी. में उनसे पैसे नहीं लिए गए पर ज्यादा बीमारी की हालत में जब उन्हें तामिया अस्पताल जाना पड़ा तो वहाँ उन्हें दवाओं के पैसे देने पड़े।

34 योजनाओं की सूची में से सिर्फ़ पीडीएस के तहत अनाज मिलने की बात सभी उत्तरदाताओं ने कही। सभी ने बताया कि उनके राशन कार्ड बने हुए हैं और हर महीने उन्हें निर्धारित कीमत पर अनाज मिल जाता है। अनाज की गुणवत्ता के प्रति भी सबने संतुष्टि जताई।

वावजूद इसके कि आदिवासी समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाएँ अब तक लागू की गई हैं और भारिया जनजाति के जीवन में विकास को केन्द्र में रखते हुए 26 जून 1978 को पातालकोट भारिया विकास अभिकरण, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे अब 40 साल होने जा रहे हैं, भारिया जिन गांवों में बसते हैं न उनकी स्थिति बेहतर है और न ही उन तक सरकारी योजनाएँ ठीक से पहुँच सकी हैं। भारिया विकास अभिकरण के छिंदवाड़ा कार्यालय में कई बार जाने बावजूद संबंधित अधिकारी से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी।

अभिकरण के तामिया कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत श्री संतोष मोजेस से भी हमें संक्षिप्त सी ही जानकारी मिल सकी। उन्होंने बताया-

संतोष कुमार मोजेस
लिपिक,
भारिया विकास अभिकरण

''हमारे पास पंचायत से आवेदन आते हैं, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट आती है। हम उस आवेदन को भोपाल कार्यालय भेज देते हैं और वहाँ से जो स्वीकृति आती है उसे संबंधित विभाग के कार्यालय में भेज देते हैं, जैसे अगर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रिक्वायरमेंट हैं तो स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में, कृषि उपकरण से संबंधित है तो कृषि विभाग के कार्यालय मे। हमारे यहाँ से भारिया बच्चों की छातृवृत्ति आवंटित की जाती है, आठवीं तक के बच्चों के लिए 300 रुपये प्रतिमाह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से।''

सार रूप में यही कहा जा सकता है कि बेहतर जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली इन तमाम योजनाओं के बारे में ग्रामीणों से चर्चा करना प्रगति के पथ पर बढ़ते भारत की सही तस्वीर को देखने जैसा है और सरकारी योजनाओं की सफलता के दर्शाए जा रहे आँकड़ों और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के बीच के अंतर को सही मायने में जानना है।

संलग्नक-1

सर्वेक्षण प्रपत्र-1

भारिया जनजाति सर्वेक्षण

गाँव की जानकारी

1. गाँव का नाम .....
2. पंचायत .....
3. ब्लॉक/तहसील .....
4. जिला .....
5. राज्य .....
6. जनसंख्याः महिला ..... पुरुष .....
   कुल .....
7. जातिवार जनसंख्याः

जाति	वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./ पिछड़ा वर्ग/सामान्य)	जनसंख्या

8. प्रमुख त्यौहार .....
9. परस्पर संवाद की भाषा ..... द्वितीय भाषा .....
10. क्या गाँव में प्राथमिक विद्यालय है? हाँ ☐ नहीं ☐
11. विद्यालय में शिक्षकों की संख्या .....
12. विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की संख्या
    कक्षाः 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 .....
13. क्या विद्यालय में कक्षाएँ नियमित रूप से लगती हैं? हाँ ☐ नहीं ☐
14. कक्षाओं के नियमित न लगने का कारण? .....

15. क्या खराब मौसम में विद्यालय नियमित खुलता है? हाँ ☐ नहीं ☐
16. क्या विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा है? हाँ ☐ नहीं ☐
17. क्या विद्यालय में शौचालय है? हाँ ☐ नहीं ☐
18. क्या विद्यालय में मध्यान्ह भोजन नियमित मिलता है? हाँ ☐ नहीं ☐
19. क्या गाँव में आंगनबाड़ी केन्द्र है? हाँ ☐ नहीं ☐
20. क्या आंगनबाड़ी केन्द्र नियमित खुलता है? हाँ ☐ नहीं ☐
21. अगर नहीं तो कारण? .....
.....
22. आंगनबाड़ी केन्द्र में कितने बच्चे हैं? .....
23. कुपोषित बच्चों की संख्या? .....
24. क्या आंगनबाड़ी केन्द्र को मिलने वाली शासकीय मदद/सामग्री नियमित रूप से मिलती है? हाँ ☐ नहीं ☐
25. क्या वह मदद/सामग्री पर्याप्त है? हाँ ☐ नहीं ☐
26. कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए क्या करते हैं? .....
.....
27. क्या गाँव में कोई सरकारी चिकित्सक स्थायी रूप से रहता है?
हाँ ☐ नहीं ☐
28. अगर नहीं तो क्या नियमित रूप से आता है? हाँ ☐ नहीं ☐
29. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ है? .....
30. गाँव से दूरी .....
31. क्या गाँव तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग है? हाँ ☐ नहीं ☐
32. अगर नहीं, तो सड़क मार्ग तक पहुँचने के लिए कहाँ तक जाना होता है?
दूरी? .....
33. क्या गाँव में बिजली है? हाँ ☐ नहीं ☐
34. अगर हाँ, तो कितने घंटे बिजली मिलती है? .....
35. पीने के पानी का सार्वजनिक स्रोत क्या है? .....
36. गाँव से नजदीकी बाजार की दूरी .....
37. क्या गाँव में साप्ताहिक बाजार लगता है? हाँ ☐ नहीं ☐

38. गाँव से ब्लॉक आफिस की दूरी .....

39. गाँव से जिला मुख्यालय की दूरी .....

40. अन्य विवरणः

.....

.....

.....

.....

.....

सर्वेक्षणकर्ता का नाम .....

सर्वेक्षण दिनाँक ..... हस्ताक्षर.....

संलग्नक-2

सर्वेक्षण प्रपत्र-2

भारिया जनजाति सर्वेक्षण

परिवार की जानकारी फ़ार्म क्र. .....

गाँव का नाम .....

पंचायत .....

तहसील .....

जिला .....

राज्य .....

1. उत्तरदाता की जानकारीः

उत्तरदाता का नाम .....

पिता/पति का नाम .....

उम्र ..... लिंगः महिला ☐ पुरुष ☐

जाति ..... शैक्षणिक योग्यता .....

2. परिवार के सदस्यों का विवरणः

सदस्य का नाम	उम्र	महिला/पुरुष	उत्तरदाता से संबंध	शिक्षा	व्यवसाय

3. सुविधाएँः

1. रेडियो ☐ टीवी ☐ फ्रिज ☐ कूलर ☐
   मोटरसाइकिल ☐ साइकिल ☐ ट्रेक्टर ☐ शौचालय ☐
   हैण्डपंप ☐ गैसचूल्हा ☐
   अन्य, यदि कोई हो तो, ...
2. घर कैसा है? कच्चा ☐ पक्का ☐ मिश्रित ☐

4. आयः

1 परिवार की आय का प्रमुख साधन .....
2 मासिक आय .....
3. क्या परिवार के सदस्य मज़दूरी भी करते हैं? हाँ ☐ नहीं ☐
4. परिवार के कितने सदस्य मजदूरी करते हैं?
   महिला..... पुरुष..... बच्चे.....
5. मजदूरी का प्रकार? दिहाड़ी ☐ खेत मजदूर ☐
   अन्य .....
6. मजदूरी मिलने की अवधिः प्रतिदिन ☐ सप्ताह में ☐ महीने में ☐
7. कितनी मजदूरी मिलती है? (प्रतिदिन के हिसाब से)
   महिला को..... पुरुष को..... बच्चे को.....
8. क्या मज़दूरी करने जिले से बाहर दूसरे शहर भी जाते हैं? हाँ ☐ नहीं ☐
9. परिवार के कितने सदस्य मजदूरी करने बाहर जाते हैं? .....
10. अगर बाहर जाते हैं तो कहां? .....
11. किस मौसम में/कब जाते हैं? .....
12. कितने समय के लिए जाते हैं? .....
13. वहाँ क्या काम करते हैं? .....
14. मजदूरी मिलने की अवधिः प्रतिदिन ☐ सप्ताह में ☐ महीने में ☐
15. वहाँ कितनी मजदूरी मिलती है? (प्रतिदिन) .....
16. आय के अन्य स्रोत .....

17. अन्य स्रोत से मासिक आय .....

18. अन्य विवरण .....

.....

5. कृषिभूमि/कृषिः

1. क्या आपके पास स्वयं की कृषि भूमि है? हाँ ☐ नहीं ☐
2. यदि है तो कितनी है? .....
3. किसके नाम पर है? .....
4. क्या बटाई/लीज़/किराए पर भी खेती के लिए ज़मीन लेते हैं? हाँ ☐ नहीं ☐
5. अगर लेते हैं तो प्रकार .....
6. यदि लीज़/किराए पर लेते हैं तो किस कीमत पर .....
7. यदि बटाई पर लेते हैं तो किस व्यवस्था के अंतर्गत (विवरण) .....

.....

8. साल में कितने महीने खेती का काम होता है? .....
9. बाकी महीनों में क्या करते हैं? .....

.....

10. सिंचाई की क्या व्यवस्था है? नदी ☐ नहर ☐ कुँआ ☐
    ट्यूबवैल ☐ कोई नहीं ☐
11. क्या रासायनिक खाद/कीटनाशकों का उपयोग भी करते हैं? हाँ ☐ नहीं ☐
    अगर हां, तो उनके नाम .....
12. रासायनिक खाद/कीटनाशकों से क्या प्रभाव पड़ा है?
    क. फसल पर .....
    ख. जमीन पर .....
13. अगर रासायनिक खाद/कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते तो खाद व कीटनाशक के रूप में क्या उपयोग करते हैं?
    क. खाद के रूप में .....
    ख. कीटनाशक के रूप में .....

14. अगर पहले रासायनिक खाद/कीटनाशकों का प्रयोग करते थे और अब नहीं करते तो खेती में किस प्रकार का अन्तर पाते हैं?

....

....

15. मुख्य रूप से कौन-कौन सी फसलें उपजाते हैं?

रबी के मौसम में ....

खरीफ के मौसम में ....

16. बीते फसल-चक्र में बोई गई फसल, लागत, उपज, उपयोग व आय का विवरण?

फसल का नाम	कुल लागत	उपज की मात्रा	उपयोग (घरेलू खपत/ व्यावसायिक)	आय

17. फसल में लगने वाली लागत का प्रबंध कैसे करते हैं? ....

....

18. लागत का प्रबंध करने के लिए कर्ज़ भी लिया है क्या? हाँ ☐ नहीं ☐

क. अगर हाँ, तो कहाँ से? ....

ख. कितना? ....

ग. किस ब्याज दर पर? ....

घ. अभी कितना कर्ज़ है? ....

19. क्या उपज की मात्रा में पिछले सालों की तुलना में कोई बदलाव आया है?

कम हुई है ☐ वृद्धि हुई है ☐

विवरणः

प्रमुख फसल का नाम	10 वर्ष पहले	5 वर्ष पहले	अब

20. इस बदलाव के क्या कारण रहे हैं? .....
.....

21. अगर उपज बेचते हैं तो कहां? बाजार में ☐ मंडी में ☐

22. उपज को बाजार/मंडी तक ले जाने का साधन .....

23. उपज को बाजार/मंडी तक ले जाने का खर्च .....

24. खेती से होने वाली सालाना आय (औसत) .....

25. पहले और अब के फसल-चक्र (फसलों की किस्म, खेती के तरीके आदि) में क्या बदलाव है? .....

26. फसल में नुकसान होने के प्रमुख कारण क्या हैं? .....

27. क्या मौसम के आकस्मिक प्रभाव (तेज बारिश) से फसल का नुकसान हुआ है?
हाँ ☐ नहीं ☐

28. क्या फसल की बर्बादी पर मुआवजा मिला है? हाँ ☐ नहीं ☐
यदि हाँ, तो कितना? .....

6. पशुधनः

1. क्या आपके पास पशु भी हैं? हाँ ☐ नहीं ☐

क. यदि हैं, तो विवरण-

पशु का नाम	पशु से प्राप्त उत्पाद	उपयोग (घरेलू/ व्यावसायिक)	यदि व्यावसायिक उपयोग है तो मासिक आय

2. पशुओं के चरने की ज़मीन में क्या परिवर्तन आया है? .....
.....

3. अन्य विवरण .....
.....
.....
.....

7. वनोपजः

1. वनोपज एकत्रित करने के लिए एक दिन में कितना समय जंगल में बिताते हैं?
.....

2. परिवार के कितने सदस्य वनोपज एकत्रित करते हैं? .....

3. भोजन के रूप में उपयोग की जाने वाली वनोपज

उपज का नाम	मौसम	उपलब्धता	उपयोग की आवृत्ति

4. व्यावसायिक महत्व के वनोत्पाद

उत्पाद का नाम	मौसम	मात्रा	आय

5. वन से प्राप्त अन्य उत्पादों का विवरणः

उत्पाद	उपलब्धता (महीने)	उपलब्धता (मात्रा प्रति माह)	प्रकार	उपयोग(घरेलू/ व्यावसायिक)

6. चिकित्सकीय महत्व के वनोत्पाद कौन-कौन से हैं? .....
.....

7. क्या वनोपज की उपलब्धता/मात्रा में कोई बदलाव आया है? हाँ ☐ नहीं ☐
क. अगर हाँ, तो क्या? .....
.....

8. वनक्षेत्र में क्या बदलाव आया है और क्यों? .....
.....

9. वनोपज के महत्व से कौन-कौन से पेड़-पौधों की संख्या कम होती जा रही है? ....
.....

10. इसका प्रमुख कारण क्या है? .....
.....

11. बारिश की तीवृता और समय में क्या बदलाव आया है? .....
.....

12. वनोपज की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? .....
.....

13. क्या वनोपज के इस्तेमाल में वन विभाग की ओर से किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है? हाँ ☐ नहीं ☐
यदि हां, तो क्या? .....

8. शिक्षाः

1. घर से स्कूल कितनी दूरी पर है? .....
2. क्या स्कूल तक जाने के लिए पक्का रास्ता है? हाँ ☐ नहीं ☐
3. आवागमन का साधन क्या है? पैदल ☐ साइकिल से ☐ बस से ☐
4. क्या शिक्षक प्रतिदिन आते हैं? हाँ ☐ नहीं ☐

   क. यदि नहीं, तो सप्ताह में कितने दिन आते हैं? .....
5. क्या खराब मौसम में स्कूल नियमित खुलता है? हाँ ☐ नहीं ☐
6. खराब मौसम में स्कूल कैसे जाते हैं? .....

   .....
7. क्या विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा है? हाँ ☐ नहीं ☐
8. क्या विद्यालय में शौचालय की सुविधा है? हाँ ☐ नहीं ☐
9. क्या मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से मिलता है? हाँ ☐ नहीं ☐

   यदि नहीं, तो सप्ताह में कितने दिन मिलता है? .....
10. क्या कभी कोई अधिकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए आता है?

    हाँ ☐ नहीं ☐

    यदि हाँ, तो साल में कितनी बार? .....
11. माध्यमिक विद्यालय कहाँ है? .....

    गाँव से दूरी .....

    आवागमन का साधन .....
12. हाई स्कूल कहाँ है? .....

    गाँव से दूरी .....

    आवागमन का साधन .....
13. क्या विद्यालय से किताबें मुफ्त में मिली हैं? हाँ ☐ नहीं ☐
14. क्या छात्रवृत्ति मिलती है? हाँ ☐ नहीं ☐
15. स्कूल द्वारा किस-किस चीज के लिए फीस ली जाती है? और कितनी?

    .....
16. क्या पालक-शिक्षक संघ बना है? हाँ ☐ नहीं ☐

17. क्या स्कूल से ड्रेस मिला है? हाँ ☐ नहीं ☐

18. अन्य कोई जानकारी: .....

.....

9. स्वास्थ्य

1. क्या आंगनबाड़ी में बच्चों को पर्याप्त आहार मिलता है? हाँ ☐ नहीं ☐

2. कौन-कौन सी बीमारियाँ बार-बार होती हैं? .....

.....

3. बीमार होने पर प्राथमिक इलाज कहाँ कराते हैं?

   खुद ही करते हैं ☐ गांव के वैद्य से ☐ अस्पताल में ☐

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ है? .....

   गाँव से दूरी? .....

5. क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक हर समय उपलब्ध रहते हैं?

   हाँ ☐ नहीं ☐

6. क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से मुफ्त दवाएं मिलती हैं? हाँ ☐ नहीं ☐

   क. यदि नही ंतो क्यों? .....

   .....

9. प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं:

आयु वर्ग	स्वास्थ्य समस्याएं		प्राथमिक उपचार क्या करते हैं	समस्या गंभीर होने पर क्या करते हैं
	महिला	पुरुष		
0–5				
5–14				
14–18				
18–30				
30–60				
60 से अधिक				

10. क्या घर में 5 वर्ष तक की उम्र के किसी बच्चे की मृत्यु हुई है?

हाँ ☐ नहीं ☐

क. यदि हां, तो मृतक का नाम .....

उम्र .....

मृत्यु का कारण .....

(यदि बीमारी से, तो) क्या बीमारी थी .....

इलाज कहां कराया .....

कितने समय तक इलाज चला .....

क्या इलाज चला .....

.....

11. क्या परिवार में कोई गर्भवती महिला है? हाँ ☐ नहीं ☐

क. यदि है, तो नाम .....

उम्र.....

12. क्या गर्भवती महिलाओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं? हाँ ☐ नहीं ☐

13. यदि परिवार में हाल ही में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो

शिशु का नाम .....

मां का नाम .....

जन्म तारीख .....

जन्म कहां हुआ? घर पर ☐ अस्पताल में ☐

14. क्या बच्चे का जन्म पंजीकरण हुआ है? हाँ ☐ नहीं ☐

15. क्या उसे जन्म के उपरांत लगने वाले टीके नियमित रू‍प से लग रहे हैं?

हाँ ☐ नहीं ☐

16. क्या बच्चे की मां को जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला है? हाँ ☐ नहीं ☐

10. पोषण/पीडीएस

1. प्रमुख भोजन क्या है? .....
2. आपके पास कौन-सा राशन कार्ड है? .....

3. कार्ड धारक का नाम .....

कार्ड नं. .....

4. क्या आपके पास नया कार्ड है? हाँ ☐ नहीं ☐

5. नया कार्ड किसके नाम पर है? .....

6. पीडीएस शॉप कहां है? .....

गांव से दूरी .....

7. पीडीएस से क्या-क्या सामग्री मिलती है, कितनी और किस कीमत पर?

समग्री का नाम	मात्रा (किग्रा./लीटर)	कीमत (प्रति किलो/प्रति लीटर)	कितने माह के अंतराल पर

8. क्या पीडीएस से मिलने वाली सामग्री हर माह के लिए पर्याप्त होती है?

हाँ ☐ नहीं ☐

9. यदि नहीं, तो आवश्यकता पूर्ति के लिए अतिरिक्त सामग्री कहां से लाते हैं?

..... दूरी .....

10. यह सामग्री किस कीमत पर मिलती है?

समग्री का नाम	कीमत	सामग्री का नाम	कीमत

11. हर माह कितने खाद्यान्न/सामग्री की आवश्यकता होती है?

समग्री का नाम	मात्रा	सामग्री का नाम	मात्रा

11. पेयजल

1. क्या पीने का पानी प्राप्त करने की घर ही में सुविधा है? हाँ ☐ नहीं ☐

   क. यदि हां तो क्या? .....

   ख. यदि नहीं, तो पानी कहां से लाते हैं? .....
   दूरी .....

2. क्या वह पानी साफ है? हाँ ☐ नहीं ☐

3. गांव में पानी के सार्वजनिक स्रोत क्या हैं और कितने?

स्रोत	संख्या

4. साल में कितने महीने पर्याप्त पानी नहीं मिलता और किस-किस महीने में?
   .....

5. तब पानी कहां से लाते हैं/पानी की आपूर्ति के लिए क्या करते हैं?
   .....

6. इन महीनों में मवेशियों के लिए पानी का इंतजाम कैसे करते हैं?
   .....

7. क्या रेनवाटर हार्वेस्टिंग करते हैं? हाँ ☐ नहीं ☐

8. क्या आपके गाँव में जलसंरक्षण का कोई प्रयास सरकार द्वारा किया गया है?
   हाँ ☐ नहीं ☐

   क. अगर हाँ, तो क्या? .....

12. सामाजिक सुरक्षाः

1. योजनाओं के बारे में जानकारी है या नहीं, लाभार्थी हैं या नहीं:

क्र.	योजना	जानकारी है	लाभार्थी हैं
1	मनरेगा		
2	वृद्धावस्था पेंशन योजना		
3	विधवा पेंशन योजना		
4	लाडली लक्ष्मी योजना		
5	मंगल दिवस योजना		
6	गोद भराई योजना		
7	मध्यप्रदेश कलाकार एवं विकास सहयोग		
8	साइकिल वितरण योजना		
9	सुदामा छात्रवृत्ति योजना		
10	स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना		
11	डॉ. अब्दुल कलाम प्रोत्साहन योजना		
12	जन-धन योजना		
13	आईईडीएसएस (अषक्त/विकलांग छात्रों के लिए)		
14	छात्र गृह योजना		
15	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना		
16	रानी दुर्गावती अ.जा./अ.ज.जा. स्वरोजगार योजना		
17	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना		
18	मुख्यमंत्री आवास योजना		
19	इंदिरा गांधी आवास योजना		
20	प्रधानमंत्री रोजगार योजना		
21	टोटल सेनिटेशन कैम्पेन		
22	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना		
23	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना		
24	ग्रामीण भंडारण योजना		
25	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना		
26	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना		

27	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना		
28	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		
29	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय		
30	जननी कल्याण बीमा योजना		
31	दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना		
32	सामुदायिक सिंचाई योजना		
33	एससीपी/टीएसपी		
34	अन्नपूर्णा योजना		

2. अगर मनरेगा में काम किया है तो,

कितनी परियोजनाओं में काम किया है? .....

अंतिम परियोजना का नाम .....

कितने दिन काम किया है? ..... कितनी मजदूरी मिली? .....

कितने दिन बाद मिली? .....

कैसे मिली? नकद ☐ बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में ☐

क्या आपका बचत खाता है? हाँ ☐ नहीं ☐

बैंक कहाँ है?.....

पोस्ट ऑफिस कहाँ है? .....

3. अन्य योजनाएँ जिनसे लाभान्वित हुए हैं? .....
.....

4. क्या लाभ प्राप्त हुआ है?

योजना का नाम	लाभ	उपयोगी है/ नहीं है	नहीं है तो क्यों

5. अन्य कोई विवरण: .....

.....

.....

.....

.....

सर्वेक्षणकर्ता का नाम .....

सर्वेक्षण दिनाँक ..... हस्ताक्षर.....

भारिया जनसंख्या (सर्वेक्षण वर्ष 2009-10)

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.न.	भारिया परिवार संख्या	सर्वेक्षण के अनुसार भारिया जनसंख्या		
				पुरुष	महिला	कुल
1	कारेआम रातेड़	13	104	269	287	556
2	चिमटीपुर	13	19	43	42	85
3	घोघरी गुज्जाडोगरी	13	00	00	00	00
4	खमारपुर सेहरा पचगोल	12	95	251	221	472
5	जड़मादल हर्राकछार	12	41	104	84	188
6	सूखाभाण्ड हारमउ	13	33	80	77	157
7	धुरनी मालनी डोमनी	11	10	33	23	56
8	झिरन	13	00	00	00	00
9	पलानी गैलडुब्बा	12	35	80	78	158
10	घटलिंगा	12	62	117	130	247
11	गुढ़ीछतरी	12	47	139	161	300
12	घाना लालढाना कौड़िया	12	57	174	168	342
योग			503	1290	1271	2561

स्रोतः भारिया विकास अभिकरण

पातालकोट क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनसंख्या की जानकारी

VILLAGE	G-panchyat	No. HH	Total Population	Total Male	Total Female	Total Other (Gen+OBC)	Total Other Male	Total Other Female	Total SC	Total SC Male	Total SC Female	Total ST	Total ST Male	Total ST Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
श्रीझोत	घटलिंगा	175	823	412	411	3	1	2	0	0	0	820	411	409
गुढीछतरी	घटलिंगा	69	300	136	164	0	0	0	0	0	0	300	136	164
घटलिंगा	घटलिंगा	133	486	243	243	4	1	3	0	0	0	482	242	240
कौडिया	घटलिंगा	107	523	260	263	0	0	0	0	0	0	523	260	263
	योग :-	484	2132	1051	1081	7	2	5	0	0	0	2125	1049	1076
करपानी	कारेआमरातेड	33	194	103	91	6	2	4	0	0	0	188	101	87
पलानी गैलडुब्बा	कारेआमरातेड	65	361	176	185	7	2	5	0	0	0	354	174	180
चिमटीपुर	कारेआमरातेड	49	250	120	130	0	0	0	0	0	0	250	120	130
कारेआमरातेड	कारेआमरातेड	110	539	275	264	1	0	1	0	0	0	538	275	263
बीजाटौंगा	कारेआमरातेड	49	248	131	117	0	0	0	0	0	0	248	131	117
कठौतिया	कारेआमरातेड	84	348	168	180	17	9	8	0	0	0	331	159	172
घोगरीगुज्जाडोंगा	कारेआमरातेड	15	80	36	44	0	0	0	0	0	0	80	36	44
	योग :-	405	2020	1009	1011	31	13	18	0	0	0	1989	996	993
धुरनीमालनी डोंग	हर्राकछार	41	180	94	86	2	0	2	0	0	0	178	94	84
सेहरापचगोल ख	हर्राकछार	104	597	313	284	1	1	0	0	0	0	596	312	284
जडमादल हर्रा	हर्राकछार	68	342	177	165	0	0	0	0	0	0	342	177	165
झिरन	हर्राकछार	1	6	3	3	0	0	0	0	0	0	6	3	3
सूखाभाण्डहरमउ	हर्राकछार	34	171	90	81	0	0	0	0	0	0	171	90	81
बतरा	हर्राकछार	62	317	158	159	1	1	0	0	0	0	316	157	159
	योग :-	310	1613	835	778	4	2	2	0	0	0	1609	833	776
	महायोग :-	1199	5765	2895	2870	42	17	25	0	0	0	5723	2878	2845

स्रोतः भारिया विकास अभिकरण

संलग्नक-5

अध्ययन दल

1.	रजनीश श्रीवास्तव पैरवी, नई दिल्ली	अध्ययन समन्वयक
2.	अशोक मंदरे सत्यकाम जन कल्याण समिति, छिंदवाड़ा	अध्ययन संयोजक
3.	शबाना आज़मी सत्यकाम जन कल्याण समिति, छिंदवाड़ा	अध्ययन संयोजक
3.	पूजा कुशवाह सत्यकाम जन कल्याण समिति, छिंदवाड़ा	क्षेत्र समन्वयक
4.	अजनसी भारती हर्रा कछार	सर्वेक्षणकर्ता, ग्राम पंचायत हर्राकछार
5.	मुख्तयार सिंह भारती रातेड़	सर्वेक्षणकर्ता, ग्राम पंचायत कारेआम
6.	कमलशाह उइके घटलिंगा	सर्वेक्षणकर्ता, ग्राम पंचायत घटलिंगा

पब्लिक एडवोकेसी इनीशिएटिव फ़ॉर राईट्स एण्ड वैल्यूज़ इन इण्डिया
ई-46, अपर ग्राउण्ड फ़्लोर, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
दूरभाषः +91-11-29841266, ई-मेलः pairvidelhi1@gmail.com
वैबसाइटः www.pairvi.org | ब्लॉगः pairvi.blogspot.in